छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 03 जुलाई, 2018

की

अशोधित कार्यवाही

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 03 जुलाई, 2018

(आषाढ़-12, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न् 11:00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्न संख्या :- 1 XX XX

प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वा. केन्द्र

2. (*क्र. 469) श्री पारसनाथ राजवाड़े : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मई 2018 की स्थिति में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? कितने स्वयं के भवन में हैं ? कितने किराये के भवन में संचालित हैं ? कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व कितने सामुदायिक केन्द्रों में अहाता निर्माण किया जा चुका है एवं कितने अहाता विहीन हैं ? जानकारी जिलेवार देवें ? (ख) प्रश्नांश क के अनुसार कितने केन्द्रों में बिजली कनेक्शन है एवं कितने विद्युतविहीन हैं ? (ग) प्रदेश में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पतालों में कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने भरे हैं ? कितने रिक्त हैं ? पदनाम सहित जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- (क) एवं (ख) सलंग्न प्रपत्र (अ) अनुसार. (ग) प्रदेश में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पतालों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्पदों की जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार ।

श्री पारसनाथ राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में जानना चाहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मंत्री जी के उत्तर में आया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 883 पद के विरूद्ध में 842 पद रिक्त हैं । इसी तरह से जिला चिकित्सालयों में 412

यादव\03-07-2018\a10\11.00-11.05

पदों के विरूद्ध 308 पद रिक्त होना बताया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब से इतने पद रिक्त हैं और यह पद कब तक भरे जाएंगे, यह बता दें ? क्या यह शुरू से रिक्त हैं या बीच में रिक्त हुए हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब से रिक्त हैं, यह एक्जेक्ट बताना अभी इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि रिटायर्ड होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इस तरह की प्रक्रिया होते रहती है । जितने पद रिक्त हैं, वह हमने बता दिए हैं । वह समय, चीजें बदलते भी रहती हैं । जहां तक भरने का सवाल है और रिक्त होने का सवाल है तो मैंने कई बार विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर में यह बात कही है कि डॉक्टर की कमी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और पूरे दूनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है । हमको अभी वित्त विभाग से 428 पदों को भरने के लिए स्वीकृति मिली है । जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उनके प्रमोशन की हमारी स्थिति अंतिम चरण में है, एकाध महीने में वह प्रमोशन जारी हो जाएंगे । 912 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हैं, उनकी भर्ती हो चुकी है । माननीय उच्च न्यायालय में कुछ कारणों से वह रिजल्ट डिक्लियर नहीं हो रहा है । हमने और भी 4000 विभिन्न खाली पदों के लिए वित्त विभाग से आग्रह किया है । वह समय समय पर हमको प्राप्त होते रहते हैं और भर्ती करते रहते हैं । मेडिकल कॉलेज में भी हम खाली पदों की भर्ती के लिए निरंतर वॉक इन इंटरव्यूह करते हैं और एनआरएचएम में भी वॉक इन इंटरव्यूह करते हैं । यह निरंतर की प्रक्रिया है ।

श्री पारसनाथ राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ओडगी ब्लाक में ओडगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बिहारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन तो बने हैं, लेकिन बाउण्ड्री का अभाव है । साथ में भवन के ठीक पीछे इतनी बड़ी खाई है जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और उससे गंदगी हो जाती है । बहुत बार प्रयास करने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के स्वास्थ्य विभाग के भवनों के आस पास जो गड्ढे हैं, उसको कब तक पूरा कराएंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा स्पेशल प्रश्न है, मैंने तो मौका देखा नहीं है, पर आप मुझे ओडगी का बताएं, मैं उसे ठीक करवा दूंगा, उसके गड्ढे को पाटने के लिए स्वीकृत कर दूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री खेलसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ...।

श्री अजय चंद्राकर :- पहले तो आपको बधाई हो कि आज आप प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री खेलसाय सिंह :- ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी प्रश्न करता रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेश्वरपुर, तारा, चंदरपुर, कन्दरई, केतका, बसदही में जहां आहाता का निर्माण नहीं हुआ है । जनहित में उन स्वास्थ्य केंद्रों में कब तक आहाता का निर्माण कर दिया जाएगा ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि कितने में आहाता है, कितने में नहीं है, कितने भवन हैं, कितने में विद्युत सब चीजें दी हैं। उसमें संख्या भी आई है, जिसमें आहाता नहीं है । बजट के उपलब्धता के आधार पर हम सबमें धीरे धीरे आहाता बनाते जा रहे हैं ।

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर शासन द्वारा देय अनुदान राशि

3. (*क्र. 153) श्री अशोक साहू : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कबीरधाम जिले में वर्ष 2014-15 से मई, 2018 तक शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कितने किसानों को विभिन्न बैंकों एवं सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया ? किसानों को कितनी राशि का अनुदान शासन द्वारा छूट के रूप में प्रदान किया गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : कबीरधाम जिले में वर्ष 2014-15 से मई, 2018 तक शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेने वाले किसानों की संख्या एवं उन्हे शासन द्वारा प्रदाय किये गये अनुदान की राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	**किसानों की संख्या**		**ब्याज अनुदान राशि (लाखों में)**	
	सहकारी समितियों के माध्यम से	**बैंकों के माध्यम से**	**सहकारी समितियों के माध्यम से**	**बैंकों के माध्यम से**
2014 - 2015	51024	2013	1788.40	35.45
2015 - 2016	43109	1613	1861.16	31.43

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2016 -2017	46034	1665	2462.46	32.69
2017 - 2018	50107	1627	2756.90	43.58
2018 - 2019 (मई, 2018 तक)	26005	627	वितरित ऋण के विरूद्ध ब्याज अनुदान की गणना कृषक द्वारा निर्धारित समय सीमा तक ऋण अदायी के उपरांत ही की जा सकेगी ।	

श्री अशोक साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों को लगभग 143.15 लाख रूपए का अनुदान दिया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का बोडला ब्लाक जो कि दूरांचल पहाड़ी एरिए में है................(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\03-07-2018\a11\.-.5

जारी.. श्री अशोक साहू :- वहां के किसानों को ऋण लेने के लिए मैदानी इलाके में काफी दूर आना पड़ता है। वहां के जो भोले-भाले आदिवासी बैगा परिवार हैं उनके लिए बैंक की सुविधा नहीं है। वहां ऊपर पहाड़ी में न ही छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक है और न ही जिला सहकारी बैंक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चिल्फी में, घाटी के ऊपर में एक स्थान चिल्फी है और दूसरा रेंगाखार, इन दोनों में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों जगह क्या बैंक खुलवायेंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी की चिन्ता जायज है। उसमें कुछ मापदंड रहता है, हम उसका परीक्षण करा लेंगे और अगर मापदंड में सही बैठता है तो उसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में संचालित ब्लड बैंक

4. (*क्र. 341) **डॉ. विमल चोपड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने शासकीय अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है? नाम सहित बताएं. (ख) क्या प्रदेश में शासकीय ब्लड बैंकों से निजी अस्पतालों को ब्लड (रक्त) देने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है? यदि हां तो कब?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) प्रदेश में 24 शासकीय अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) हां. प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय ब्लड बैंकों से सभी अस्पतालों को ब्लड (रक्त) देने का आदेश संचालक स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक/एड्स/ एस.बी.टी.एस./2016/2065, रायपुर दिनांक 09-02-2016 के माध्यम से जारी किया गया है.

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्रदेश के शासकीय ब्लड बैंकों के बारे में था। सरकार ने 09-02-2016 को आदेश जारी किया है कि जितने शासकीय ब्लड बैंक हैं वहां से बाहर भी ब्लड दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के समस्त शासकीय ब्लड बैंकों से क्या प्राईवेट अस्पताल या बाहर ब्लड देना चालू कर दिया गया है और जहां-जहां नहीं हुआ है इन ढ़ाई सालों के पश्चात भी जिन सिविल सर्जनों ने इस आदेश का पालन नहीं किया है उन पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कार्रवाई को ही पहले पूछते हैं। (हंसी)

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप करते नहीं इसलिए वही पहले पूछता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निर्देश हमने दे दिये हैं और शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं से हमने ब्लड दिया है। इसका पालन हो रहा है और हमने शासकीय संस्थाओं से निजी संस्थाओं को ब्लड दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया गया है कि 24 या 25 ब्लड बैंकों से दिया जा रहा है लेकिन महासमुंद जिला अस्पताल में मैंने कई बार पत्र लिखा है, आपको भी दिया है, वहां से अभी तक ब्लड देने की प्रक्रिया चालू नहीं की गई है और प्रदेश में ऐसे कई ब्लड बैंक हैं जहां से ब्लड नहीं दिया जा रहा है और यदि निकट में ब्लड बैंक हैं तो भी मरीजों को काफी दूर तक ब्लड लाने के लिए जाना पड़ता है। महासमुंद में भी नहीं हुआ है यह मेरी जानकारी में है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ढ़ाई साल हो गये आप क्या वहां के जो भी सिविल सर्जन हैं या जो नहीं कर रहे हैं उन पर कुछ कार्रवाई करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय ब्लड बैंक से निजी ब्लड बैंकों को हमने दो वर्षों में लगभग 14252 यूनिट ब्लड दिया है। कहीं पर किसी जगह में यदि इसका परिपालन नहीं हो रहा है, जैसे महासमुंद का उदाहरण हुआ तो परिपालन हम सुनिश्चित करेंगे। फिर से उनको कहेंगे कि इसको जरूरत पड़ने पर और डिमांड आने पर यदि उपलब्धता है तो दिया जाए।

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो ब्लड बैंक से ब्लड दिया जाने वाला है इसकी दर कौन तय करेगा, क्या दर रहेगी क्योंकि हर जगह जो ब्लड बैंक हैं वहां कोई 1400 रूपये, कोई 1700 रूपये तो कोई 1100 रूपये लेता है। मेकाहार में 1100 रूपये की दर है और वहां 1500 रूपये है। इसकी आप कोई एक दर निर्धारित करेंगे क्या और जो ब्लड दान करेंगे उनको बाद में ब्लड देने की व्यवस्था जरूरत पड़ने पर उनको दी जायेगी क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी दर सुनिश्चित है और यदि उसका कोई वायलेशन हो रहा होगा तो जैसा आपने अभी बताया है मैं उसको देखता हूं कि उसका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए।

बस्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मक्का खरीदी

5. (*क्र. 538) **श्री लखेश्वर बघेल:** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने किसानों से मई 2018 तक कितनी मात्रा में मक्का खरीदी की गई? मक्का उपार्जन केन्द्रों की जानकारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सहित वर्षवार, समितिवार जानकारी देवें? (ख) कितने किसानों की कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है? कितना भुगतान शेष है ? शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2017-18 में बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 31 मई, 2018 तक 253 किसानों से 16358.42 क्विंटल मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है, जिसका उपार्जन केन्द्रवार, समितिवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. खरीफ वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. (ख) समस्त 253 किसानों को खरीदे गये मक्का की संपूर्ण राशि रु. 233.11 लाख का भुगतान कर दिया गया है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से मक्का खरीदी के संबंध में जानना चाहा था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2018-2019 में मक्का खरीदी क्यों नहीं हुई?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ वर्ष 2017-2018, 15 नवंबर से 31 मई तक माना जाता है और वही खरीफ वर्ष होता है न कि वर्ष 2018-2019.

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर दिया है कि भुगतान सभी को कर दिया गया है लेकिन मेरी जानकारी में आज भी दो तीन किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। दो-तीन किसानों को आज तक नहीं मिला है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी किसानों का भुगतान होगा और आप बता दें यदि नहीं हुआ है उनका भुगतान करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी, आप नहीं थे तो आज माननीय खेलसाय सिंह जी ने बोला।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी माननीय नेता जी का अपमान कर रह हैं, जरा संसदीय कार्य मंत्री जी को डांटिए।

अध्यक्ष महोदय :- वह उनका सम्मान कर रहे हैं।

श्री कुरैशी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कुरैशी\03-07-2018\a12\11.10-11.15

अध्यक्ष महोदय :- वे उनका सम्मान कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय खेलसाय जी, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन वे माननीय नेताजी के बाजू में बैठे हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- पिछली बार बजट सत्र में भी आपने कहा था कि किसका-किसका भुगतान शेष है, मैं भुगतान करवा दूंगा, लेकिन 30 मई तक या आज तक भुगतान नहीं होना, खेदजनक स्थिति है ।

अध्यक्ष महोदय :- 2017-18 में जिन किसानों का भुगतान बाकी है, उन्हें कब तक कर देंगे, यह जानना चाह रहे हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी का भुगतान हो चुका है।

श्री लखेश्वर बघेल :- भुगतान नहीं हुआ है, आप कहें तो मैं किसानों से आपकी बात करवा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, उनकी सूची उपलब्ध करवा दें ।

श्री लखेश्वर बघेल :- यह किसानों का मामला है, इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 24.04.2018 को पत्र लिखा था, उसके बाद भी किसानों का भुगतान न होना, बड़ा खेदजनक है । हम जब भी पूछते हैं तो कहा जाता है कि भुगतान हो गया है, भुगतान तत्काल हो जाएगा । श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, माननीय मंत्री जी ने माईक को दूसरे नम्बर पर सेट कर लिया है (हंसी) ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मंत्री जी, आपने भुट्टा देखा है (हंसी) ? किस साइज का ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप ही के साइज का (हंसी) ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आज तक, कभी मक्के की खेती की है, जो भुट्टे का दर्शन किया है आपने ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं तो भुट्टा खाता ही हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर जी, अगर आपके पास ऐसी कोई सूची है, जिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, उनकी सूची उपलब्ध करवा दें ।

श्री लखेश्वर बघेल :- सूची है सर । पिछले बजट सत्र में इन्होंने कहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये दोनों माइक लगाए हैं, इनका चैनल नम्बर दूसरा है और उनका दूसरा है । वे बोलते हैं तो इनको समझ नहीं आता (हंसी)। श्री लखेश्वर बघेल :- मैं उनका उत्तर निकालकर लाया हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज भुट्टा लाओ, कल भुगतान होगा । इसके बावजूद भी भुगतान न होना खेदजनक है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न के माध्यम से क्या चाह रहे हैं यह बताइए, उसका समाधान कराएंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- सर, इस पवित्र सदन में जवाबदार मंत्री जवाब देते हैं कि हम तत्काल भुगतान करवा देंगे । उसके बाद भी 2-2, 3-3, 4-4 महीने भुगतान न होना, खेदजनक स्थिति है (शेम शेम की आवाज) ।

अध्यक्ष महोदय :- कौन से सन् का, किन किसानों का भुगतान बाकी है, यह बताइए ?

श्री लखेश्वर बघेल :- वह बात बता दूंगा सर, भुगतान भी हो जाएगा । लेकिन इतना विलम्ब होना खेदजनक स्थिति है । हमारे यहां हजारों किसान हैं और 253 किसानों की मक्का खरीदी हुई है । मक्का खरीदी में इतना प्रोसीजर है । लैम्पस ले जाते हैं, सहकारी समिति ले जाते हैं तो वहां खरीदी नहीं होती है, वे कहते हैं वेयर हाउस ले जाओ । वेयर हाउस ले जाने के लिए एक क्विंटल में सौ रूपए, डेढ़ सौ रूपए खर्च आता है । उनके नामतौल के साथ ही अन्य खर्च भी आते हैं, क्या आप इनका भी भुगतान करेंगे ? लैम्पस खरीदी करता है या वेयर हाउस खरीदी करता है?

अध्यक्ष महोदय :- आज लखेश्वर जी फार्म में हैं, आप उत्तर दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखेश्वर बघेल :- सर, फार्म में नहीं (हंसी) । हमारे हजारों किसानों के मक्का की खरीदी नहीं हुई । समर्थन मूल्य इतना है, लेकिन हम लोगों ने 800 से 1000 रूपए में मक्का खरीदी किया । लेकिन इतनी लचर व्यवस्था के कारण सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिला । इसलिए आक्रोश में हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, अनुमति हो तो हम भी एकाध प्रश्न कर लें ?

अध्यक्ष महोदय :- अभी पहले वाले के प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दो (हंसी)।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, सेवा सहकारी के माध्यम से मक्के की खरीदी होती है । जो 253 किसानों की लिस्ट है । किस दिनांक को, किस किसान को भुगतान हुआ, दिनांकवार, किसानवार, मैं पटल पर रख सकता हूं, आप कहें तो पढ़कर बता सकता हूं । जितने किसान आते हैं, उतने किसानों का मक्का लिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चिंतामणी महाराज ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- जो सदस्य प्रश्न नहीं करते हैं, अगर आज वे हाथ उठा रहे हैं तो उनको पूछने दीजिए ।

श्री चिंतामणी महाराज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मक्के की खेती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किसानों का मक्का खरीदा नहीं गया । कुछ ही किसानों का खरीदा गया, बाकी सभी किसानों को 8 रूपये, 10 रूपये में बेचना पड़ा । वहां मक्का खरीदी हो, कृपया ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अवश्य करेंगे ।

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\03-07-2018\a13\11.20-25

अध्यक्ष महोदय :- एक-एक करके पूछोगे, दो-तीन खड़े होओगे तो कैसे होगा। मोहन जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर सहमति नहीं है कि कौन पहले पूछेगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस्तर संभाग में सबसे जयादा मक्के का उत्पादन होता है, मगर बस्तर विधान सभा क्षेत्र में मात्र 253 किसानों का ही मक्का खरीदा गया है, दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में भी सुनिश्चित करेंगे कि समर्थन मूल्य 1450 रूपये में मक्का खरीदी करेंगे ? क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी नहीं के बराबर खरीदी होती है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे मूल प्रश्न में केवल बस्तर विधान सभा क्षेत्र लिखा है, लेकिन फिर भी चूंकि ये किसानों के मक्का खरीदी से संबंधित प्रश्न है इसलिए मैं आप सबको अवसर दे रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, हमारे बलरामपुर जिले में तो एक किलो मक्का नहीं खरीदा गया ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न केवल बस्तर विधान सभा क्षेत्र का है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आपने बता ही दिया कि ये प्रश्न बस्तर विधान सभा क्षेत्र का है । चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, हम मक्के की खरीदी करते हैं । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 13 गुना ज्यादा खरीदी हुई है। अगर आप लोग कहते हैं तो हम खरीदी सुनिश्चित करेंगे और अगले सीजन में हम किसानों की मक्का खरीदी के लिए पंजीयन कराएंगे, जिस तरह से धान का पंजीयन होता है, जिससे सब सुनिश्चित हो जायेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी कृपा हो तो मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं । आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिए । लखेश्वर बघेल जी भी बहुत कम प्रश्न करते हैं, उनको पूरा करने दीजिए । आप बैठिए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अब अंतिम सत्र है, पूरा करना पड़ेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा ।

श्री लखेश्वर बघेल :- जी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2018-19 में लक्ष्य के बाद जब खरीदी की अवधि थी, उसके बाद 2018-19 का मक्के का रबी फसल में उत्पादन हुआ है, उसकी खरीदी करेंगे क्या ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 नवम्बर से 31 मई, 2018 तक अर्थात् साढ़े 6 महीने तक खरीदी की गई । अब खरीदी की समय-सीमा समाप्त हो गई है, अब अगले समय का इंतजार कीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मक्का खरीदी के लिए लक्ष्य का क्या निर्धारण किया गया था और उसके अर्हता क्या थी ? किन-किन किसानों का मक्का लिया जाना था क्योंकि अधिकांश जगह पर मक्के का ढेर लगा हुआ है, खरीदी नहीं की गई है, लोग कर्ज में दबे हुए हैं तो आप किन-किन किसानों का मक्का खरीदे, खरीदी का क्या मापदण्ड था और मापदण्ड के लक्ष्य के अनुरूप कितना मक्का खरीदा गया ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मक्का खरीदी सीमित मात्रा में होती है, धान की खरीदी नहीं है । इस कारण इसका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता । जो किसान लाते हैं, उनका मक्का खरीद लेते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, बिना लक्ष्य का खरीद रहे थे क्या ? जो आया, उसका खरीदे। जो नहीं आया, उसका मक्का नहीं खरीदे । माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आपके ऊपर पूरे प्रदेश की जवाबदारी है। किसान कर्ज में दब रहे हैं, उनके मक्के की खरीदी नहीं की जा रही है...

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी, आप एक मिनट बैठिए न । आप बहुत वरिष्ठ सम्माननीय विधायक हैं । उनके प्रश्न में आप ये बोल रहे हैं । जो बेचने नहीं जाएगा, उसका मक्का नहीं खरीद रहे हैं । जो बेचने के लिए जाएगा, उसका मक्का खरीदेंगे, ये मंत्री जी बोल रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, खरीदी केन्द्र से लोगों को वापस किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ऐसा आप पूछिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, मक्का नहीं खरीदा जा रहा है । जिसका एप्रोच है, पहुंच है, जो राजनीतिक दल विशेष के लोगों का खरीदा जा रहा है, बाकी किसानों का बुरा हाल है, कर्ज में दबे हुए हैं । जहां-जहां की शिकायत है, वहां खरीदी कराएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- अभी अनुदान मांग में बात करेंगे ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये प्रश्न इसलिए गंभीर है कि 13 गुना मक्के की ज्यादा खरीदी शुरूआती बेस इतना कम रहा होगा कि आज किसान इतना हतोत्साहित है, जैसा लखेश्वर जी ने कहा कि 25 प्रतिशत भी किसानों का मक्का नहीं खरीदा गया ? आज की स्थिति में मक्के के बीज का उठाव पिछले साल से आधा है । शासन क्या इसको गंभीरता से लेते हुए ये सुनिश्चित करेगा कि समस्त किसान को प्रोत्साहित करे कि वे अपना मक्का लेकर आएं और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदे, वरना आज की स्थिति में मक्के के बीज का उठाव इस फसल के लिए पिछले साल की तुलना में आधा है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मक्के की खरीदी का समय-सीमा समाप्त हो गयी है । अगले सीजन के लिए हम जरूर सुनिश्चित करेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- (XX)[1]

श्री अमरजीत भगत :- अगले सीजन में आप रहोगे ही नहीं तो कहां से खरीदोगे ।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह की बात को विलोपित कर देंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब ये था कि इनकी सरकार बनेगी, तब खरीदेंगे न।

---

[1] **(XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ये प्रश्नकाल है, अभी अनुदान मांग में आपको बात करने का पुन: अवसर मिलेगा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके प्रश्न का जवाब दे देता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, आप एकदम सीधा जवाब दीजिए, गोल-मोल मत दीजिए । किसानों का मामला है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरजीत जी, आप नहीं समझ पाते, सुन लीजिए ।

जारी....श्री देवांगन

देवांगन\03-07-2018\a14\11.20-11.25

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नहीं समझ पाते इसलिए सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह पहले आप सुनिश्चित कीजिए। मक्का खरीदी की समय सीमा के संबंध में अभी उपसमिति की बैठक होगी, उसमें इसका निर्धारण हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- क्या है, मैं प्रश्नकाल में चाहता हूं कि माननीय विधायकों के अधिकतम प्रश्नों के उत्तर आ जाएं। हम अनुदान मांगों पर ये सब चीजें बोल सकते हैं। थोड़ा सहयोग करिये, आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा।

विधानसभा क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

6. (*क्र. 406) **श्री रामलाल चौहान :** क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत वर्ष 2017-18 में खरीफ फसल का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया था ? लक्ष्य के विरूद्ध कितना धान खरीदा गया तथा कितना भुगतान किसानों को किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी देवें) ? (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में सूखत परिवहन एवं भण्डारण इत्यादि प्रक्रियाओं में कितना धान खराब हुआ है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सहकारिता मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) विधान सभा क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत वर्ष 2017-18 में धान उपार्जन हेतु लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है. वर्ष में धान खरीदी एवं भुगतान की जानकारी निम्नानुसार है :

(मात्र क्विंटल एवं राशि लाखों में)

विकासखण्ड	**धान खरीदी**		**कृषकों को भुगतान**
	मात्रा (क्विंटल में)	**राशि (लाखों में)**	**राशि**
(1)	(2)	(3)	(4)
बसना	283192.60	4407.75	4407.75
सरायपाली	1133686.20	17609.04	17609.04
योग	**1416878.80**	**22016.79**	**22016.79**

(ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में खरीदी केन्द्रों में मिलान के पश्चात् कमी की वास्तविक जानकारी ज्ञात हो सकेगी.

श्री रामलाल चौहान :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017-2018 में धान खरीदी के संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था। माननीय मंत्री महोदय जी की ओर से उत्तर आ गया है। धान सूखत परिवहन और भण्डारण के संबंध में इनके द्वारा मिलान नहीं किया गया बताया गया है। मेरी जानकारी में यह बात आयी है कि तुसगांव समिति की जो सोसायटी है, वहां पर खरीदी में 329 क्टिवंल की कमी आयी है। मैं इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तुसगांव समिति की शिकायत आयी थी, जिसकी हमने जांच करवायी है। वहां 319 क्विंटल 22 किलो की कमी मिली है। जांच में हमने कार्रवाई की है। वहां के सेल्समेन ढोलमणी नाग को बर्खास्त किया है। साथ ही 4 लाख 94 हजार 491 रुपये की शत-प्रतिशत वसूली भी हमने कर ली है।

श्री रामलाल चौहान :- धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनपद पंचायत बिल्हा में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास

7. (*क्र. 237) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये थे ? (ख) क्या स्वीकृत सभी आवास के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 2,939 आवास स्वीकृत किये गये. (ख) योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों में से 1,910 आवासों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं.

श्री सियाराम कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-2017 में बिल्हा ब्लाक में 2929 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 1910 भवनों का निर्माण हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत मजदूरी का जो भुगतान होता है, क्या वह भुगतान पूरा हो गया है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपकी कृपा से कोई बीच में नहीं आयेगा, क्योंकि पूरे 25 नंबर तक मैं ही चलूंगा। (हँसी) ऊपर वाले निपट गये। उनका हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 पूर्णत: प्रमाण पत्र के बारे में आपने पूछा है, भुगतान के बारे में नहीं पूछा है, पर मनरेगा के ही नहीं, पूर्णत: चूंकि नहीं हुई है, 1910 पूर्ण हुए हैं। हमने पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी किया है, उसमें से 5701 पूर्ण हो चुके हैं। उसको भी हम पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। जो काम चल रहे हैं, उसमें मनरेगा के जो 90 दिन का लेबर हम सामान्य क्षेत्र में, जो कम्पोनेंट देते हैं, निश्चित तौर पर उसका भुगतान भी बकाया होगा।

श्री सियाराम कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो अकाल पड़ा हुआ है, मकान बन रहा है और लोगों को मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है। करीब 15 हजार से ऊपर मजदूरों का भुगतान बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कितनी जल्दी मजदूरों को भुगतान करा देंगे ?

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 90 दिन हम मनरेगा का देते हैं, बाकी लगभग 1 लाख 37 हजार को हम नकद देते हैं। काम होते जाते हैं, पैसे उसके खाते में पहुंचते जाते हैं। अमूमन यह होता है, जब प्रश्न करते हैं, मैं प्रश्नों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, पर पैसे सीधे खाते में जाते हैं इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमको मालूम नहीं रहता कि भुगतान हो गया है या नहीं हुआ है। 5 हजार 7 सौ जो पूर्ण हो चुके हैं, उन सबमें भुगतान हो चुके हैं, बस प्रमाण पत्र जारी होना बाकी है।

श्री सियाराम कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी का 1 हजार 29 भवन जो अपूर्ण हैं, वे कब तक पूरे करा लिये जायेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के नार्म्स में 1 साल में पूरा करना लिखा है। हम कोशिश करते हैं कि वह मिले। मैं आपको इस सदन के माध्यम से बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास में पूर्णत: के प्रतिशत, कार्य की प्रगति और स्वीकृति में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सियाराम कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो छड़ और सीमेंट के रेट बढ़े हुए हैं, गुणवत्ता में कमी होती जा रही है और भवन निर्माण में विलंब होता जा रहा है...

जारी... श्रीमती सविता

सविता\03-07-2018\a15\11.25-11.30

......जारी श्री सियाराम कौशिक :- मैं चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी आज की डेट की छड़ा सीमेंट के रेट को भवन के रेट में .....।

अध्यक्ष महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया। आप बैठ जाईये।

श्री सियाराम कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाजार का रेट बढ़ गया है। जो हितग्राही बना रहे हैं उनको उतने में नहीं बन पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया। श्री लालजीत सिंह राठिया। आप लोग प्रश्न जो हैं उसमें प्रधानमंत्री आवास में कितनी नकद राशि मिलेगी? कितने दिन की मनरेगा की राशि मिलेगी ?कितना शौचालय निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए मिलेगा? ये फिक्स है और आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोग प्रश्न, पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या होता है ?उसके बाद इस प्रकार का प्रश्न आप कर रहे हैं तो उसका उत्तर क्या होगा?

श्री सियाराम कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा बिल्हा ब्लाक ओ.डी.एफ. हो गया है। आज जाकर देख लीजिए, कई पंचायतों में शौचालय निर्माण नहीं हो पाया है। जो अभी प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, वह भी कमजोर बन रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रश्न हो इसलिए आप लोग प्वाईंटेड प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है ये भुगतान शेष होने की बात कर रहे हैं। इनके नेता ने भी वर्ष 2001 में बहुत कुछ खरीदा था उसका भुगतान आज तक शेष है। अभी तक उसके भुगतान के लिए लोग भटक रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- आपको क्या करना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- खुद बाजू में बैठे हैं रामदयाल उइके, कार्यवाहक अध्यक्ष, उसका बाकी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछिए।

रायगढ़ जिले के अंतर्गत मनरेगा के तहत स्वीकृत राशि

8. (*क्र. 373) **श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से मई, 2018 तक मनरेगा के तहत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत राशि से कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य पूर्णअपूर्ण हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) स्वीकृत कार्यों हेतु कितनी राशि की मजदूरी भुगतान किया जाना था एवं कितना किया गया ? कितनी मजदूरी भुगतान लंबित है? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ग) लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) रायगढ़ जिले में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2017-18 से मई, 2018 तक स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी ञ् संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उक्त अवधि में संपादित कार्यों में किये गये मजदूरी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भुगतान एवं लंबित मजदूरी भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होते ही लंबित राशि का भुगतान कर दिया जावेगा.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया है कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-2018 में मनरेगा के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? और कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितना मजदूरी भुगतान किया गया है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो पूछा है मैंने परिशिष्ट में बता दिया है फिर भी मैं आपको फिजिकल, फाईनेंशियल दोनों बता देता हूँ कि टोटल स्वीकृत कार्य जो है, वहां 9 विकासखण्ड है उसको मिलाकर 17 हजार,177 काम स्वीकृत किये हैं, वह राशि है और स्वीकृत कार्य की संख्या है 34 हजार, 607, उसमें पूर्ण कार्य 22 हजार, 44 है, उसमें अपूर्ण कार्य 8 हजार, 673, उसमें मजदूरी भुगतान जो किया जाना था, हमने मजदूरी भुगतान कर दिया है 8 हजार, 787 करोड़ रूपये समझ लीजिए और 134 लाख का भुगतान अभी शेष है, राशि लाखों में है इसलिए पढ़ने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी से इसमें अपूर्ण कार्यों पर जानना चाहूंगा। गॉवों में जो निस्तारी के तालाब होते हैं उन तालाबों को सूखा दिया गया और सूखाने के बाद किसी प्रकार से स्वीकृत तो कर दिया लेकिन आज तक उसमें कार्य प्रारंभ नहीं किया और कार्य प्रारंभ नहीं होने से, वहां के नागरिक लोग बहुत परेशान हुए। तो क्या इस तरह पहले से सुनियोजित करके कार्य को करना चाहिए, मैंने कल शून्यकाल में भी इस बात को उठाया था। कई ऐसे तालाब हैं और कुंआ निर्माण कर रहे हैं कुंआ निर्माण में जो रेश्यो, मनरेगा के तहत कुंआ निर्माण दिया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूछिए, फिर मैं बता दूंगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंआ निर्माण कर दिया है उसमें जो है चौड़ाई...।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा संक्षिप्त में प्रश्न कर लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी चौड़ाई उसके हिसाब से कर दिया, आपके इंजीनियर ने नाप जोख के कर दिया। उसके बाद उसकी चौड़ाई को कम कर रहे हैं । इसमें जो हितग्राही मेहनत किया है, काम किया है उसमें उसको परेशानी हो रही है आज आपने मजदूरों से काम कराया, आपने ठेका दे दिया कि आप इस कार्य को पूर्ण करिए, उसके बाद वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है अधूरा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप उसको किस तरह से पूरा करायेंगे ? उसको कैसे राशि उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने सारे उदाहरण और किसमें पूरा कराऊंगा। फिर भी मैं आपकी तरह उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। (हंसी) अपूर्ण कार्य, मनरेगा में कुछ कार्य अपूर्ण दिखते हैं जो तीन साल के लिए स्वीकृत रहते हैं जैसे वृक्षारोपण है तालाब का गहरीकरण इसलिए अधूरा दिखता है पानी वानी बीच में गिर जाते हैं भर जाते हैं बहुत सारे काम हम स्वीकृत करके रखते हैं क्योंकि कभी भी डिमांड हो सकती है उसमें हितग्राही मूलक योजना है जिन्होंने कुंए की बात कही। तो हितग्राही मूलक योजना में मांग वो खुद जनरेट करता है, जगह देखकर उसकी तकनीकी स्वीकृति बनायी जाती है और जैसे भुगतान होते हैं उसी तरह से उसमें भी भुगतान होते हैं। मैं माननीय विधायक जी आपसे दो बात कहूंगा कि 95 प्रतिशत भुगतान सीधे खाते में होते हैं, 5 प्रतिशत खाता भर पोस्ट ऑफिस में आज की तारीख में है....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\03-07-2018\a16\11.30-11.35

पूर्व जारी... श्री अजय चन्द्राकर :- 5 प्रतिशत खाता भर पोस्ट आफिस में आज की तारीख में है। 95 प्रतिशत में भी लगभग 70 प्रतिशत भुगतान आधार बेस्ड है। कई बार जब हम पूछते हैं तो खाते में पैसा चल दिया रहता है और हितग्राही को मालूम नहीं रहता है। आपने कुंए के बारे में जो बात कही, मजदूरों से काम कराया, उसको कराया, साईज छोटा हो गया, यदि आप मुझे कोई स्पेसीफिक बतायेंगे, यह आपके प्रश्न में उद्धृत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चिंता व्यक्त की है, आप मुझे बतायेंगे कि इस मापदंड के बावजूद कुएं का साईज छोटा किया गया तो मैं उसमें कोई न कोई कार्यवाही करूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उदभूत होता है। आजकल बैंक खाता डायरेक्ट हितग्राही के मोबाईल नंबर से जुड़ा हुआ है और हर किसान के पास मोबाईल है, उसके खाते में पैसा आया या नहीं आया, मैसेज आ जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 134 लाख रुपये लंबित भुगतान है, क्योंकि इसमें आपने करोड़ या लाख में दिया नहीं है इसलिए मैं नहीं समझ पाया।

अध्यक्ष महोदय :- आप 88 करोड़ का भुगतान हो गया, उसको बताईये, बस 1 करोड़ ही बाकी है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को वही बताना चाह रहा हूं कि हितग्राही के खाते में पैसे नहीं गये हैं, वह भटक रहे हैं, क्या सही ढंग से भुगतान करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- यह पूछ रहे हैं कि भुगतान कब तक हो जायेगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी कहा जितने भुगतान हो गये हैं उसमें सिर्फ 134 लाभ भुगतान बकाया है और वह भी किस तरह के काम के हैं, अभी हो सकता है कि जो चल रहे हैं, वह काम के होंगे, आज भी एस.टी.ओ. जनरेट हुआ होगा, मेच्योर हुआ होगा, हो सकता है कि आज 134 लाख कम हो गया होगा। इसलिए वह रूका हुआ है, ऐसा कोई विषय वहां नहीं है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर समस्या है, 2-3 तीन साल से मजदूरों को मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है। आपने भुगतान जारी कर दिया, लेकिन रायपुर के मजदूर का पैसा बिलासपुर में जा रहा है, बिलासपुर का पैसा रायगढ़ में जा रहा है। आपका ये सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है, 2-3 साल से गरीब लोगों को मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है। आपने जारी कर दिया, लेकिन वह दूसरे के खाते में जा करके जमा हो रहा है। पिछले सत्रों में भी आपने यह जवाब दिया है कि हमने शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। लेकिन अभी भी हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि हर ब्लाक, विकासखंड में बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपये के भुगतान वास्तविक में जिनको मिलना चाहिए, उनके खाते में जमा नहीं हुआ, इसको आप कब तक ठीक करायेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका तो उत्तर दे दिया, अब आपका भाषण है। आप यह बताईये कि कहां का पूछ रहे हैं ?

श्री धनेन्द्र साहू :- मैं पूरे प्रदेश का बोल रहा हूं। आप सारे ब्लाक में जांच करा लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उससे उदभूत प्रश्न पूछिये, मैं उत्तर दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- उससे उदभूत ही पूछ रहा हूं। ये पूरे प्रदेश की समस्या है। हर विकासखंड में बकाया भुगतान जो वास्तविक मजदूरों को नहीं पहुंचा है, उसको कब तक पहुंचायेंगे, यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- रायगढ़ जिले का बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल भुगतान आधार बेस्ड है।

श्री अमरजीत भगत :- बाकी टाईम में भाटो-भाटो कहते हैं और अभी जवाब देते समय गोलमोल है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है कि आज पीला कुर्ता पहनकर आये हो, आप उसकी मर्यादा रखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमको दिल्ली से पैसे प्राप्त नहीं हुए तभी लंबित रहते हैं। । एस.टी.ओ. जनरेट होने के बाद, मेच्योर होने के बाद आजकल सीधे खाते में पैसा जाता है, हम लोगों का भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। और रूकता उसी हालत में है जिसको मैंने पिछले सत्रों में कहा था कि कोई त्रुटि हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, यदि समय देंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा जो विशुद्ध रूप से तकनीकी हैं, पैसा होने के बाद भी वह भुगतान नहीं होता।

सरगुजा संभाग अंतर्गत मनरेगा में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

9. (*क्र. 259) **श्री अमरजीत भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 से मई, 2018 तक अनियमितता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) क्या सामाजिक अंकेक्षण के दौरान फर्जी मस्टर रोल, फर्जी मजदूर, फर्जी सामान खरीदी व मशीनों द्वारा फर्जी कार्य संबंधी अनियमितता पायी गई है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या सरगुजा संभाग में मनरेगा मजदूरी भुगतान लंबित है ? यदि हां तो भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) सरगुजा संभाग में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से मई, 2018 तक अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाही की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां, निकासी बैठक में लिये गए निर्णय की कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धितसक्षम अधिकारी को लिखा गया है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) जी हां, भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी.

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरगुजा संभाग अंतर्गत मजदूरी भुगतान और अनियमितता से संबंधित कहां-कहां कितनी शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? जहां-जहां पर वसूली के लिए आदेश पारित है, उसके निर्देश का पालन हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सरगुजा संभाग में 146 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें प्रक्रियाधीन जांच 42 है, शिकायतों की जांच की पूर्ण संख्या 104 है, निराधार 79 शिकायतें पाई गई हैं और सही पाई गई शिकायतें 25 हैं, हम 25 शिकायतों में 24 में कार्यवाही पूर्ण कर चुके हैं और एक में कार्यवाही होना लंबित है।

श्री अरविन्द

अरविंद\03-07-2018\a17\11.35-11.40

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नरेगा के तहत कई प्रकार के निर्माण हुए हैं। सड़क, शौचालय और पी0एम0 आवास में भी उसकी राशि खर्च की गई है और मजदूरी भुगतान की अधिकांश जगह शिकायतें आ रही हैं। इनके विकास यात्रा, शिविर में सब जगह शिकायतें आई हैं। लेकिन शिकायत करने के बावजूद उसमें आज तक कार्रवाई नहीं हुई है और भुगतान नहीं हुआ है। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीतापुर जनपद अन्तर्गत ग्राम पंचायत रैकेरा, बेलेजोरा, कोटछाल, देवगढ़, यहां मजदूरी भुगतान की शिकायतें हैं। आपके अनुभाग स्तर और जिला स्तर पर इसकी शिकायत गांव वालों ने की है। लेकिन अभी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तक भुगतान नहीं हुआ है। तो क्या इसमें भुगतान करायेंगे और जिनके ऊपर वसूली का आदेश पारित है, उसका पालन करायेंगे क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरगुजा संभाग का प्रश्न है। मैंने बताया है कि एक में, और वह भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सामाजिक अंकेक्षण जो होता है, उसकी रिपोर्ट है। हम इसको टेबल में रखते हैं। उन शिकायतों में भी, चूंकि हम विधानसभा में उस बात को रखते हैं, उसमें हमारी एक शिकायत ही एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए बाकी है, हम उसमें भी कार्रवाई करेंगे। यह किसी ने शिकायत नहीं की है। सरकार ने पारदर्शिता के लिए खुद सोशल आडिट किया है, यह उसकी रिपोर्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात भुगतान होने का है, तो आपकी चिंता स्वाभाविक है। जहां पर भी भुगतान रूका होगा, हम उसका भुगतान करवायेंगे।

समय 11.37 बजे (सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए.)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी पिछले सत्र में बोले थे कि मजदूरी भुगतान का कहीं भी मामला लंबित नहीं है और यह शिकायत उसी से संबंधित है। कई जगह मजदूरों का पैसा निकालकर के लोग डकार गए हैं। इसकी जांच में पुष्टि भी हुई है। उसकी वसूली के लिए आदेश पारित है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी, अब यह तो अंतिम सत्र है। इसके बाद आप भी अपने घर और हम लोग भी अपने घर चले जायेंगे। लेकिन इनका भुगतान कब होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया कि जो 25 सही पाई गई, उसमें 24 में एक्शन टेकन हो गया है। एक में एक्शन टेकन होना बाकी है और उसमें करेंगे। भुगतान के बकाये के बारे में मैं जो बोलता हूँ, उसका सिर्फ कारण यह है कि काम तो रोज चलते रहते हैं, उसमें रोज भुगतान की स्थिति बनती-बिगड़ती रहती है, इतने भुगतान हो गए हैं, इतने बाकी हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी,

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुन लीजिये।

सभापति महोदय :- आप जवाब सुन लीजिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसी में बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आप जवाब तो सुन लीजिये, बैठकर जवाब सुन लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, प्रतिबंधित एरिये में कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो छत्ता दौड़ाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह मजदूरों का मामला है। आपने पिछले सत्र में कहा था कि सबका भुगतान हो गया है, शेष नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिलकुल हो गया है।

श्री अमरजीत भगत :- श्रीमान, इनका पैसा निकल गया है और इन मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है। आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और जो वसूली का आदेश है, उसका कब तक पालन होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को फिर कह रहा हूँ कि 24 सोशल आडिट की रिपोर्ट, जिसको मैंने उत्तर में दिया है और 1 में एक्शन टेकन रिपोर्ट बाकी है, हम उसको भी जल्दी कर देंगे। भुगतान की स्थिति में जो पैसा लोग निकाल लिए हैं, यदि आप चाहें तो मैं 24 सोशल आडिट रिपोर्ट को पढ़ देता हूँ, यह एक बात।

दूसरी बात, जो करन्ट भुगतान है, उसके बारे में समय-सीमा में भुगतान होते रहता है और यदि कोई त्रुटि होगी तो उसमें व्यवस्था है, हम उसमें कार्रवाई नियमित रूप से कार्रवाई करते रहते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम प्रश्न। मैं पंचायत का नाम बता रहा हूँ, सीतापुर जनपद का एक रैकेरा पंचायत, बेलजोरा पंचायत, देवगढ़ पंचायत और मैनपाट ब्लाक का कोटछाल पंचायत और अम्बिकापुर ब्लाक का कुम्हरता, इतने जगह के मजदूरी भुगतान का मामला लंबित है। यह कुम्हरता-कम्हरा मार्ग में वन विभाग निर्माण एजेंसी है। इन सभी जगहों की शिकायत है कि इनका पैसा निकल गया है, इनको भुगतान नहीं मिला है। आप इसकी जांच करायेंगे क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। यदि माननीय विधायक मुझे लिखकर देते हैं कि यहां पर इस तरह की है, तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा।

.......श्री श्रीवास

श्रीवास\03-07-2018\a18\00.00-00.5

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न ?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है ना । जवाब आ गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- आपके पास शिकायत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ.......

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं भी तो बोल रहा हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- अनुभाग स्तर पर शिकायत है, जिला में शिकायत है । आप बोल रहे हैं कि इतना मामला लंबित है तो ......

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लिखकर दे देना ।

श्री अमरजीत भगत :- जो पंचायत बता रहा हूँ उसको आप दिखवायेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- चलिये, वृहस्पति जी ।

श्री अमरजीत भगत :- इनके पैसे का आहरण हो गया है । वसूली के आदेश जारी की गई है । वसूली की कार्यवाही नहीं हो रही है ।

सभापति महोदय :- वृहस्पति जी ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, मजदूरों का मामला है, उनका पैसा निकल चुका है । मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है । इसमें माननीय मंत्री जी कुछ निर्देश देंगे क्या ?

सभापति महोदय :- उस विषय पर जवाब आ गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- जो शिकायतें सही पाई गई है, क्या-क्या कार्यवाही हुई है, मैं उनको पढ़ कर सुना देता हूँ । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि

इसमें वह बार-बार तीन पंचायतों का नाम ले रहे हैं, इस प्रश्न में नहीं है, उसके बाद भी मैंने कहा कि यह संभाग स्तर का प्रश्न है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो पंचायत का नाम बता रहा हूँ । मजदूरों का पैसा निकल गया है । मजदूरों का पैसा नहीं मिल रहा है ।

सभापति महोदय :- अमरजीत जी, आपको मंत्री जी ने जवाब दे

दिया । आप लिखकर दे दें, जांच करा देंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- पिछले विधान सभा सत्र के दौरान आपने कहा था कि मजदूरी भुगतान कहीं भी लंबित नहीं है ।

सभापति महोदय :- वृहस्पति जी, आप प्रश्न कीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं इन जगहों का नाम बता रहा हूँ कि यहां का

मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है । इनका पैसा आहरण हो चुका है । मजदूरों का पैसा कहां गया । इनका भुगतान करायेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- उसमें मंत्री जी ने जांच का आदेश दे दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दो बार यह हुआ कि

मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हूँ और यह उत्तर को नहीं सुन रहे हैं । धैर्य रखियें, आपका प्रश्न है, पूरा उत्तर सुनिये। नेतागिरी करने के लिए अभी बहुत समय आयेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आप गरीबों के प्रति सहानुभूति रखिये । गरीबों का आह जिसको लगता है ना, लोहा भी भस्म हो जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गरीबों के आह से ही 15 साल से उधर हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- मैं बोल रहा हूँ कि गरीबों का पैसा है, उसका आहरण हो चुका है, उसका भुगतान नहीं हुआ है, करायेंगे क्या ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बातें कही है, वह स्पेसिफिक है । संभाग के स्तर की जितनी कार्यवाही जिलेवार है, मैं बता सकता हूँ कि सामाजिक अंकेक्षण के ऊपर जितनी है, उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट हमने क्या लिया और एक बाकी है । उसके बाद चूंकि माननीय सदस्य ने तीन पंचायत का नाम लिया, मैंने कहा कि आप तीन पंचायत मुझे लिखकर दीजिए, उसमें जांच करूंगा और जो पैसा आहरण कर लिया है, जो-जो अनियमिततायें हुई है, सोशल आडिट में आई है, उस पर कार्यवाही के आदेश दे दिये हैं । उसके बाद कोई चीजें उदभूत हो नहीं रही है । मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप तीन पंचायतों का मुझे लिखकर दीजिए, मैं करूंगा।

समय 11.41 बजे **(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुये ।)**

श्री अमरजीत भगत :- श्रीमान, हम इतना ही तो चाह रहे हैं कि भुगतान कराया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पूरा सुन नहीं रहे थे ना ? तकलीफ ये है कि आप पूरा सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आप बहुत अनुभवी और अच्छे विधायक माने जाते हैं । आप पूरी बात को मंत्री जी का सुनते क्यों नहीं ।

श्री अमरजीत भगत :- अंतिम सत्र तो है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अंतिम सत्र है तो सुनना मना है क्या ? सुनना मना है अंतिम सत्र में ।

श्री अमरजीत भगत :- फिर आप उस पार नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वृहस्पत सिंह जी ।

श्री वृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर जिले के रामचन्द्रपुर ब्लॉक के टिण्डो क्षेत्र के 12-15 पंचायत ऐसे हैं, जहां विगत तीन साल से 4 करोड़ रूपये नरेगा के मजदूरों का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मजदूरी बाकी है । उसमें अधिकारी यह कहते हैं कि हमने एफ.टी.ओ. कर दिया है और मजदूरों के खाते में नहीं दिख रहा है, न ही उनका भुगतान हो पा रहा है । लगातार वहां के मजदूर कलेक्टर और जिला पंचायत के सी.ई.ओ को लिखित में देकर प्रदर्शन करता रहा, निवेदन करता रहा, अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है । माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि उसको स्पेशियली जांच कराकर भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे क्या ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति चाहूंगा कि ......

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूँ कि आपने उसका उत्तर पहले दे चुका है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एफ.टी.ओ. जो रिजेक्ट होते हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए । मैं बता देता हूँ क्योंकि यह बार-बार .....

श्री वृहस्पत सिंह :- एफ.टी.ओ. दिखा रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन तो लीजिए । यही तो तकलीफ है । एक तो बैंक खाते आधार से लिंक हो रहे थे, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ । अब वह आधार लिंकिंग का मामला हो गया । कई खाते बहुत दिनों से लेन-देन नहीं होने के कारण

इनेक्टिव हो जाते हैं । तीसरा जन-धन खाते में जिसमें भुगतान करते हैं, उसमें 50 हजार रूपये से ज्यादा होने के बाद जो रिजेक्ट हो जाते हैं । डाकघर की जो शाखायें हैं, वह कम्प्यूटरीकृत नहीं है, इसलिए एफ.टी.ओ. उसके सेंट्रल आफिस तक जाता है, इसलिए उसमें देरी होती है । कई बार एन्ट्री में मानवीय त्रुटि एफ.टी.ओ. जो है, त्रुटिपूर्ण बन जाता है, इसलिए देरी होती है । जहां-जहां इस तरह के प्रकरण हैं, कैम्प्लगाकर, ठीक करके उसको आदेश किया है कि समयसीमा में सबका भुगतान किया जाये । जो देरी होती है, तो यह त्रुटि है तो मैं पिछले प्रश्न में बता रहा था कि इस तरह की त्रुटियां हो जाती है । यह तकनीकी है । इंटेशनली हम किसी का भी भुगतान नहीं रोकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री गिरवर जंघेल ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत प्रधान मंत्री आवास

10. (*क्र. 492) **श्री गिरवर जंघेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016 से 31 मई, 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने-कितने आवास निर्माण हेतु किन-किन ग्राम पंचायतों में, कितने हितग्राहियों को स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) कितने हितग्राहियों द्वारा मकान तैयार कर लिया गया है एवं कितने शेष हैं ? कृपया ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016 से 31 मई, 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायतवार 9,594 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में दर्शित है. (ख) 6,442 हितग्राहियों द्वारा मकान तैयार कर लिया गया है. 3,152 आवास शेष हैं. ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो में दर्शित है.

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खैरागढ़ विधान सभा की जानकारी मांगी थी । इसमें मंत्री जी ने जवाब दिया है कि खैरागढ़ विधान सभा में 9594 आवास स्वीकृत है ....

श्रीमती यादव

नीरमणी\03-07-2018\a19\11.45-11.50

जारी..........श्री गिरवर जंघेल :- जिसमें 6442 मकान तैयार हैं और 3152 मकान शेष बचा है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि 3152 आवास निर्माण कार्य शेष हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शेष आवास निर्माण वर्ष 2016 से लेकर 2018 की अवधि में किस वर्ष की स्वीकृति में से मकान शेष बचा है उसकी मुझे जानकारी माननीय मंत्री जी बतायें ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें कहा है कि 3100 आवास अभी शेष हैं । अब यह ग्रामपंचायतवार भी उसमें लगा है, कौन से ग्राम पंचायत में कितना है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अब वह कौन से साल का अधूरा है, टोटल हमने जो स्वीकृत किया है आप देखेंगे कि 9000 है तो 9000 का कौन-कौन से सन् का अधूरा है, मैं आपको पृथक से जानकारी दे दूंगा ।

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शेष आवास का कितना-कितना भुगतान हितग्राहियों को किया गया है जो शेष बचा हुआ मकान है ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, प्रश्न में भुगतान वगैरह के बारे में आपने नहीं पूछा है ।

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे गरीब लोगों का मकान नहीं बना है । समय पर उसको पैसा नहीं मिलता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं । प्रधानमंत्री आवास योजना में हम 4 किश्तों में पैसा देते हैं और उसको बता देता हूं प्रथम किश्त हम देते हैं 35,000, द्वितीय किश्त 45,000, तृतीय किश्त 40,000, चतुर्थ किश्त 10,000 इसके अतिरिक्त 15 सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन का मनरेगा का मानव दिवस देते हैं और 12,000 रूपये शौचालय के लिये देते हैं यह सीधे उनके खाते में जाता है। जितना काम पूरा हो जाता है, मोबाईल से जिओ टैगिंग होती है, फोटो जाती है वह पैसा उसके खाते में आ जाता है इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है । आप यह बताईये कि उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, कौन सा भुगतान रूका है, भुगतान रूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, काम होगा और उसके खाते में जायेगा ।

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में वनांचल क्षेत्र है कोपरोचोहा सिंघोरा करके उसमें वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ और आज तक के मकान नहीं बना है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, चूंकि आज बहुत सारे सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं जो कभी नहीं पूछते थे इसलिये आराम से उनका उत्तर दीजिये । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल-बिल्कुल ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में वनांचल क्षेत्र है जहां वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ था और अभी तक वह मकान नहीं बना और उसकी वजह है कि समय में उसका किश्त नहीं हुआ तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हितग्राही को जो आवास निर्माण के भुगतान के पूर्व भौतिक सत्यापन का मापदंड क्या है और कौन अधिकारी निर्माण कार्य का प्रमाणीकरण करता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में प्रधानमंत्री आवास के प्रभारी हैं और उसमें एफ.टी.ओ. जनरेट होता है उसी तरह से चार किश्तों में संयुक्त दस्तखत से वह जाता है फोटो के साथ जो भी इंचार्ज होता है और उसके आधार पर वह पैसे सीधे उसके खाते में आ जाते हैं । वह बोल देता है कि यहां तक का हो गया चार किश्तों में, कहें तो कौन-कौन से किश्त कब-कब देते हैं तो यह भी मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं तो इसलिये आपसे मैं यह मदद चाहूंगा कि किन्हीं कारणों से यदि वह नहीं बना रहे हैं तो आप सब चूंकि यह एक क्रांतिकारी योजना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 1 लाख 47,000 और 1 लाख 57,000 गरीबों की मदद करिये, उनको कोई भी परेशानी आ रही है उसको दूर करिये और जल्दी बनवाईये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सीमेंट के भाव के संदर्भ में इस विषय में तो उस रेट पर कटौती की जा रही है कि किस रेट पर सीमेंट की कटौती की जा रही है और मनरेगा के दिवस 95 हैं कि 90 ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास में माननीय नेता जी का 25 नंबर में प्रश्न है मैं सोच रहा था कि पहले नंबर में लगता तो अच्छा रहता लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आवास के दो दर हैं । एक लेफ्टविंग इफेक्टेड एरिया में जो है वह 1 लाख 57,000 का है, सामान्य क्षेत्रों में 1 लाख 47,000 है । सीमेंट के रेट से उसका कोई संबंध नहीं है । दिल्ली से भी उसके रेट एप्रूव है एक, दूसरा सामान्य क्षेत्रों में हम 90 दिन मनरेगा देते हैं मानव दिवस और आईएपी डिस्ट्रिक्ट में हम 95 दिन मानव दिवस देते हैं ।

.............श्री यादव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यादव\03-07-2018\b10\11.50-11.55

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेंट के रेट का कैसे फर्क नहीं होगा, सेंट्रल से क्वांटिटी फिक्स हो सकती है कि दस बोरे लगेंगे या सौ बोरे लगेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 200 रूपए के उसमें सुनिश्चित करेंगे । स्वाभाविक है कि प्रोग्रेस प्रभावित होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता जी, सब चीजों से हटकर आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं । लगभग 07 लाख 88 हजार मकान स्वीकृत हुए हैं । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 02 लाख से ऊपर लोग ऐसे निकलेंगे जो अपना पैसा लगाकर उसको बड़ा बना रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ की बड़ी सामाजिक क्रांति है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- ऐसे ऐसे लोगों को चयनित किया है ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उनकी उपलब्धि के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनकी सक्षमता है, आप सक्षम लोगों को दे रहे हैं, यह भी साबित हो रहा है । गरीब लोग, जिनके पास एक झोपड़ी भी नहीं है, वह भटक रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 28 साल में इंदिरा आवास की क्या गति है, यह भी बता दो ?

प्रदेश में शौचालय निर्माण के विरूद्ध प्रोत्साहन राशि का भुगतान

11. (*क्र .438) श्री देवजी भाई पटेल :क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि)क (स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का **2015-16, 2016-17** व **2017-18** में कितना लक्ष्य था **?** कितना निर्माण कराया गया **?** जिलेवार ब्यौरा दें **? (**ख (कंडिका क के क्षेत्र में कितने गांव को ओ.डी.एफ .घोषित किया गया **?** कितने गांव को घोषित किया जाना शेष है **?** जिलेवार बतावें **? (**ग (कंडिका क के शौचालय निर्माण के विरूद्ध प्रोत्साहन राशि के कुल कितने प्रकरणों में भुगतान किया गया**?** कितने प्रकरणों में भुगतान लंबित है **?** कब तक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा **?** जिलेवार बतावें **?**

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क (स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में लक्ष्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एवं उसके विरूद्ध कराये गये निर्माण कार्य का जिलेवार ब्यौरा संलग्न प्रपत्र अ में है .(ख) कंडिका के क्षेत्र में 18761 गांव को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया . 931 गांव को ओ.डी.एफ . घोषित किया जाना शेष है .जिलेवार विवरण संलग्न प्रपत्र ब में है. (ग) कंडिका (क) के शौचालय निर्माण के विरूद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान किये गये प्रकरण एवं भुगतान हेतु लंबित प्रकरण की जिलेवार जानकार संलग्न प्रपत्र (स) में है .लंबित राशि का भुगतान ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा शौचालय निर्माण से संबंधित कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, शौचालय निरीक्षण प्रमाण पत्र, पूर्व में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं भारत सरकार से शेष राशि प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा.

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 19692 गांवों में से केवल 931 गांव ही ओ डी एफ होने से शेष हैं । आज मेरा व्यक्तिगत शौचालय बनाने का प्रश्न है, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने मुझे जवाब में जो डेटा दिया है उसमें प्रपत्र अ में 33 लाख 27 हजार 532 दिया है, यह आपका लक्ष्य है । उसमें भुगतान के लंबित प्रकरण 32 लाख 39 हजार 624 बताए हैं मलतब 87 हजार 908 ये लक्ष्य से और आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया उससे भी अधिक है । यह कहां से अधिक आ गया? इसका करीब 105 करोड़ रूपए का एक्सेस पैमेंट हो रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012 में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जो बेसलाईन सर्वे किया था, उसके आधार पर हमने काम शुरू किया । उसके बाद जब यह नवम्बर, 2014 को हमको ट्रांसफर हुआ तो हमने फिर से सर्वे करवाया । उसमें 37 लाख में 17 लाख तो बनाने थे और 10 लाख डिफंड टायलेट थे । तो जो आंकड़े का अंतर दिख रहा है, वह उन्हीं कारणों से दिखा है । कभी कभी यह भी आ जाता है कि हम लोग अलग हो गए, एक परिवार टूट गया तो दूसरा परिवार बन गया, इस तरह के भी प्रकरण आते हैं । दूसरा, यह सिर्फ मनरेगा के अतिरिक्त दो, तीन और भी हेड हैं, डीएमएफ से भी बने हैं, सीएसआर से भी कुछ बने हैं । इस तरह के जो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, उस तरह के आंकड़े भी उसमें शामिल हैं ।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी आपने जिन शौचालय का निर्माण किया है, उसका भुगतान अभी तक क्यों

नहीं हुआ है ? क्या विभाग ने उसके संदर्भ में कोई निर्देश जारी किया ? क्या जिला कलेक्टरों के पास, स्वच्छता समिति के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण भुगतान नहीं हुए हैं ? भुगतान नहीं हुए हैं तो उसके क्या कारण हैं ? जिसके पास जिले में पैसा जमा था, कलेक्टर के पास जमा था, क्या आप लायबिलिटी फिक्स करेंगे कि पैसे रहते हुए भुगतान नहीं किया और सरकार उसकी वजह से बदनाम हो रही है, क्या आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग में देवजी भाई पटेल का जो ताप है, वह बहुत है ।

श्री अमरजीत भगत :- शुरू में तो आपको धन्यवाद दिए तो खुश हो गए थे, बाद में पर्त खुल रही है तो उसका जवाब दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- यही तो आपके साथ गड़बड़ है कि आप जवाब को नहीं सुनते । उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न लगाया है । मैंने जिस दिन उत्तर दिया और मैंने देवजी भाई को फोन करके बधाई दी कि बड़ा अचछा प्रश्न है, मेरे लिए भी मैंने इनसे कुछ अतिरिक्त जानकारी जुटाई तो 608 करोड़ रूपए बकाये थे, इसको स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है । जब इन्होंने मुझे बत्ती दी, समझ लीजिए तो आज वह दो दिन में 528 करोड़ रूपए हो गए । आपके इस प्रश्न के बाद मैंने सर्कुलर जारी किया है और जो भी कमी जो भी त्रुटि है, 31 जुलाई तक हम इसके पूरे भुगतान करेंगे ।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यहां जिला कलेक्टर को लेटर लिखा । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही प्रश्न है कि जिला कलेक्टरों स्वच्छता समिति और जिला पंचायत सी ई ओ के पास पैसा होने के बाद भी भुगतान नहीं करने वाले पर क्या कार्यवाही करेंगे ? ....(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\03-07-2018\b11\.-.5

जारी.. श्री देवजी भाई पटेल :- स्वच्छता समिति और जिला पंचायत सी.ई.ओ. के पास पैसा होने के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? आज आपके जिले में लगभग 367 करोड़ रूपये पड़े हुए हैं मगर वहां पैसा नहीं दिये। कई जिलों में पैसा नहीं है जिसके कारण नहीं हुआ और आपको 608 करोड़ रूपये का भुगतान करना है। आप इस पर कार्रवाई करके कम से कम शासकीय योजनाओं का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से कहा कि यह बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने भी इस प्रश्न के आने के बाद अध्ययन किया कि क्यों रूके हैं। सारे अध्ययन करने के बाद पता लगा कि हमको इस योजना में मनरेगा के 154 करोड़ रूपये मेचिंग ग्रांट प्राप्त होना है। उसको घटा भी दें तो कुछ भुगतान अभी हो गये, लगभग 5 लाख 7 हजार शौचालय के भुगतान शेष हैं जो कि 608 करोड़ रूपये होते हैं जिसमें कुछ भुगतान हो गये और 536 करोड़ के भुगतान अभी बाकी हैं। उसमें अभी 3 लाख की जियो टेगिंग होनी शेष है और कुछ जगह जियो टेगिंग हो भी गई है तो जल स्वच्छता समिति ने उसका वेरीफिकेशन नहीं किया है कि इसमें वेरीफिकेशन हो गया है, पेमेंट जारी कर दें। पर इन सब स्थितियों को दूर करने के लिए, जियो टेगिंग के लिए भी हमने आपके सत्र के दौरान समय तय कर दिया और हमें जो यूटीलिटी सर्टीफिकेट देनी है कि ये गांव से बनकर आ गया है उपयोग हो रहा है उसमें थोड़ी ढिलाई हुई है, उसको भी ठीक करके जैसा हमने कहा है वह हम दे देंगे और मैंने निर्देश भी जारी कर दिये हैं और जहां पर सब प्रक्रिया होने के बाद भी भुगतान बकाया है आज मैंने तीन सी.ई.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है।

डॉ. विमल चोपड़ा :- 31 जुलाई, 2018 या 31 जुलाई, 2019 कब भुगतान होगा क्योंकि मनरेगा का पहले भी हम लोग कई बार बोले है?

श्री अजय चन्द्राकर :- 31 जुलाई, 2018.

हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत् जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के जनप्रतिनिधियों का भ्रमण

12. (*क्र. 45) **श्री जनकराम वर्मा:** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कितने जनप्रतिनिधियों को हमर छत्तीसगढ़ योजना के प्रारंभ से मई 2018 तक की अवधि में भ्रमण कराया गया? विधानसभाक्षेत्रवार जानकारी देवें. (ख) जनप्रतिनिधियों को किन स्थलों पर भ्रमण कराया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत 6774 जनप्रतिनिधियों को हमर छत्तीसगढ़ योजना के प्रारंभ से मई 2018 तक की अवधि में भ्रमण कराया गया. विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट परदर्शित है. (ख) जनप्रतिनिधियों को मंत्रालय महानदी भवन, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जंगल सफारी, बॉटनिकल गार्डन, पुरखौती मुक्तांगन, साईंस सेन्टर आदि स्थानों में भ्रमण कराया गया.

श्री जनकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न था कि हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को नया रायपुर भ्रमण कराया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है। 1905 में जब पुनर्गठन हुआ तो नेता जी हमको प्राप्त हुए। उस समय पांच जागीर छत्तीसगढ़ को मिली और 5 जागीर उड़ीसा चली गई। नेता जी आप भी उसमें शामिल हैं जो छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर से आये। उसके बाद हम सी.पी.बरार में रहे फिर हम मध्यप्रदेश में रहे। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और छत्तीसगढ़ के दो-ढ़ाई करोड़ लोगों को स्वाभिमान दिया। ये योजना इसलिए बनाई गई कि छत्तीसगढ़ में वह भाव विकसित हो कि हमर छत्तीसगढ़ में लोग एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को देखें और 15 साल में छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं उससे आम आदमी भी जुड़े, यह इस योजना का उद्देश्य है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल नया रायपुर को क्यों दिखा रहे हैं? केवल नया रायपुर के सड़क और भवन मत दिखाईये, आम क्षेत्रों को भी दिखाईये जहां सड़क खराब है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का होने दो फिर मैं आपका भी उत्तर दूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इस बहाने आप सिर्फ प्रचार कर रहे हैं।

श्री जनकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां से घूमकर जाने के बाद लोगों को यह महसूस होता है कि जो सुविधाएं शहरों में हैं वह सुविधा हमारे गांव में कब होगी?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब महसूस होता है तो उसका तो कोई प्रश्न बनता नहीं लेकिन महसूस होता है उसके लिए आप महसूस करें कि छत्तीसगढ़ में जो 41 प्रतिशत स्वच्छता का कवरेज था वह 930 गांवों को छोड़कर 100 प्रतिशत कवरेज हो गया। हमारे यहां 7 करोड़ 88 लाख मकान बन रहे हैं इसको महसूस कीजिए। सारे गांवों में आंतरिक विद्युतीकरण हो रहा है इसको महसूस करिये, सी.सी. रोड बन रहा है उसको महसूस कीजिए, मुक्तिधाम बन रहा है उसको महसूस कीजिए, निर्मला घाट बन रहा है उसको महसूस कीजिए, स्टेडियम बन रहा है उसको महसूस कीजिए। ये सब आप भी छत्तीसगढ़ में महसूस कीजिए।

श्री जनकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमर छत्तीसगढ़ योजना में कितनी राशि व्यय की गई है? आप रायपुर घुमाने लाते हैं और यहां से घूमकर जाने के बाद उनको महसूस होता है कि हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है, ये सारी सुविधाएं नहीं हैं और अभी तक हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत आप कितना खर्च किए हैं?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, आपके रायपुर के लिए नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आप तो पूरे प्रदेश में जवाब देते हैं लेकिन वर्ष 2018 में हम लोग जरूर जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरूण जी आपकी जवानी निकल गई, अब बुढ़ापा आ जायेगा वहीं रहोगे।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे आरंग विधानसभा क्षेत्र में नया रायपुर क्षेत्र है।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशासकीय प्रकाशन के लिए नहीं

कुरैशी\03-07-2018\b12\12.00-12.05

पृच्छा

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं । लगातार किसानों की मौत हो रही है । कृषि मजदूरों की मौत हो रही है । इस सरकार की गलत नीति के कारण सारी योजनाएं आम जनता और किसानों तक नहीं पहुंच रही है । हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, कृपया इसे ग्राह्य करके चर्चा कराएं ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी कहां से व्यवस्था का प्रश्न आ गया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कल अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं मिली थी ।

अध्यक्ष महोदय :- कल वाली व्यवस्था आज कहां से आ गई ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आज, आज की व्यवस्था (xx)[2], आज व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष जी । आज समाचार पत्रों में (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रमुखता से छपा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपको पत्र लिखा, तीन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिए । कल के समचार पत्रों में एक समाचार प्रमुखता से छपा था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में माननीय सदस्या रेणु जोगी को नहीं बुलाया गया । मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह स्पष्ट हो कि इन तीन सदस्यों की क्या स्थिति है और माननीय श्रीमती रेणु जोगी की सदन में क्या स्थिति है ? ये किस राजनीति दल से संबंधित हैं ? उनको आपने क्या मान्यता दी है यह अवगत कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य को

---

[2] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उनके राजनैतिक दल की बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है तो स्थिति तो स्पष्ट होनी चाहिए कि माननीय सदस्या किस पार्टी में हैं ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था (xx)[3]। अभी ये आसंदी पर नहीं बैठे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है अध्यक्ष जी ।

श्री भूपेश बघेल :- आप रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- (xx) को विलोपित कर दें ।

श्री भूपेश बघेल :- हो गया क्लीयर (मेजो की थपथपाहट) । माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के आधार पर सदन में चर्चा नहीं होती है । ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आसंदी पर भी बैठते हैं । यदि इस प्रकार की कोई बात थी तो आपको लिखित रूप में देना था, उसके बाद सदन में आता और चर्चा होती ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक सीरियर सदस्य को राजनीतिक पार्टी की बैठक में न बुलाया जाए । श्री भूपेश बघेल :- केवल समाचार पत्रों के आधार पर यहां उल्लेख कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है और एक राजनीतिक दल के नेता के द्वारा एक महिला के साथ ऐसा किया जा रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- क्या समाचार पत्र के आधार पर यहां चर्चा हो सकती है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सब लोगों के प्रश्न को सुन रहा हूं, सब लोगों के व्यवस्था के प्रश्न भी ध्यान में आ गए हैं । मैं उसके बारे में व्यवस्था दूंगा ।

---

[3] **(xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी पार्टी का विधायक दल जो होता है, वह विधान सभा में होता है और विधान सभा में आपके निर्देश पर ही हम लोग चलते हैं । यह कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है, वह विधान सभा का विषय है । उन्होंने तीन सदस्यों को किस कारण से निष्कासित करने की नोटिस दी? जब पिछली बार मैंने इन सदस्यों की स्थिति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो आपने कहा था और उन लोगों ने निलम्बन रद्द किया और उन्होंने माना कि ये कांग्रेस के सदस्य हैं । उनके निलम्बन रद्द किये गये ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करने की अनुमति मिल गई है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं, चर्चा पर नहीं बोल रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय आपने कहा था कि वे कांग्रेस विधायक दल में हैं । आज ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि नेता प्रतिपक्ष को यह नोटिस देना पड़ा कि वे सम्माननीय सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं ? दूसरी बात यह है कि यदि कांग्रेस विधायक दल की बात है तो श्रीमती रेणु जोगी माननीय सदस्या कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम समाचार पत्रों का उदाहरण देते हैं अध्यक्ष महोदय । समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इसकी क्या रिलेवेंसी है ?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, हो जाने दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह विधायकों की अस्मिता का, उनकी पहचान का विषय है, उनके सम्मान का विषय है तो आखिर किस कारणों से उनके साथ ऐसा हुआ, यह स्थिति सदन के सामने स्पष्ट होनी चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यह बात उठा रहे हैं और उन्होंने सदन में यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जी ने विधान सभा सचिवालय में लिखित में जानकारी दी है । इसका मतलब यह है कि संसदीय कार्यमंत्री जी को पूरी जानकारी है ।

-- श्री अग्रवाल -

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अग्रवाल\03-07-2018\b13\12.05-10

जारी...श्री भूपेश बघेल :- इसका मतलब ये है कि संसदीय कार्यमंत्री को पूरी जानकारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने समाचार-पत्रों के आधार पर उल्लेख किया ।

श्री भूपेश बघेल :- ना, ना, अभी आपने कहा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, समाचार निकलवा लीजिए, मैंने समाचार-पत्रों के आधार पर कहा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो यही है कि समाचार-पत्र में छपे खबर के आधार पर कोई चर्चा सदन में हो सकती है क्या, जिसमें माननीय वरिष्ठ सदस्य ने चर्चा की ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ये बताइए कि समाचार-पत्रों के आधार पर कभी चर्चा नहीं हुई ?

श्री भूपेश बघेल :- मुझे बोलने दीजिए । मैं तो आसंदी से ही व्यवस्था मांग रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यदि नेता प्रतिपक्ष ने विधान सभा सचिवालय को जानकारी दी है तो आप समय निर्धारित कर दीजिए, उसमें चर्चा हो जाएगी । यदि उन्होंने सूचना दी है तो आप समय निर्धारित कर दीजिए, मंत्री जी समय जाया क्यों करवा रहे हैं ? मेरा निवेदन ये है कि इसकी व्यवस्था दे दिया जाए, उसके बाद हम लोग शून्यकाल में दूसरा मुद्दा उठाएं ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय जिस हिसाब से माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह विषय बहुत गंभीर है । गंभीर इसलिए है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष या अन्य के माध्यम से तीन सदस्यों की सदस्यता रद्द करने संबंधी सूचना दी । ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि कांग्रेस से विभाजित होकर जनता कांग्रेस बनी, उस संबंध में विधायक दल के माध्यम से...

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है । कोई विभाजन नहीं हुआ है, विभाजन शब्द से मुझे आपत्ति है । छोड़कर गए हैं, विभाजन नहीं हुआ है और हमने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निष्कासित किया है, विभाजन नहीं हुआ है । एक सदस्य को निष्कासित करने से विभाजन नहीं होता ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा कि पूरा प्रदेश जान रहा है । आपने क्या किया और क्या नहीं, प्रदेश जान रहा है ? प्रदेश की जनता का परसेप्शन है और विधान सभा में जो बातें होती हैं, इसकी प्रतिध्वनि पूरे प्रदेश में होती है । हम लोग यहां पर प्रदेश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । तीन सदस्यों के प्रति इस सदन के अंतिम सत्र में उनकी निष्कासन के संबंध में सूचना दी जाती है । उन्हीं तीन सदस्यों से संबंधित पारिवारिक संबंध माननीय रेणु जोगी जी, जो कांग्रेस विधायक दल की सदस्या हैं और उनको कांग्रेस विधायक दल के बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता । देखिए, विधायक दल और पार्टी, दोनों अलग-अलग है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल गलत जानकारी है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक दल और पार्टी दोनों अलग-अलग हैं...

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल गलत जानकारी है । रेणु जोगी जी को विधायक दल के सचिव के द्वारा खबर दी गई है, जिस प्रकार से सब लोगों को दिया गया है । ये जबरदस्ती समय जाया कर रहे हैं ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक दल में आमंत्रित नहीं करने के कारण...

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आप चाहें तो नेता प्रतिपक्ष से जानकारी ले लें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरी बात सुन लें ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी, आप स्पष्ट कर दें । माननीय रेणु जोगी जी को उसी प्रकार सूचना दी गई है, जिस प्रकार सबको सूचना दी गई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी से पूछ लें कि उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था । ये स्पष्ट हो जायेगा । सदन में भ्रम की स्थिति बन रही है और सदन का काम उस भ्रम को दूर करना है इसलिए हम चाहते हैं कि नेता जी बोल दें कि वे विधायक दल की सदस्य हैं ।

श्री कवासी लखमा :- ये मंत्री जी को राजनीतिक लग रहा है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए न ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, ये सदस्यों के सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

<u>व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं । माननीया विधायक श्रीमती रेणु जोगी जी को कांग्रेस विधायक दल ने सूचना दी, नहीं दी, ये कांग्रेस विधायक दल का आन्तरिक मामला है । इसलिए इस को मैं व्यवस्था का प्रश्न न मानते हुए उसको रद्द करता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय तीन सदस्यों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया, रेणु जी के बारे में तो आपने व्यवस्था दे दी । माननीय रेणु जोगी जी के बारे में आपने व्यवस्था दे दी, लेकिन तीन सदस्यों के बारे में प्रश्न उठाया, उसके बारे में बता दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या रेणु जोगी जी स्वयं सदन में उपस्थित हैं, वे अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले माननीय रेणु जोगी जी को उप नेता पद से हटाया गया, अब उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया । वे स्थिति स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जब आसंदी से व्यवस्था आ गई, उसके बाद में प्रश्न उठा रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या रेणु जोगी जी स्वयं सदन में उपस्थित हैं, पहले माननीय रेणु जोगी जी को उप नेता पद से हटाया गया, अब उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया । वे स्थिति स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आसंदी से व्यवस्था आ गई, उसके बाद माननीय शिवरतन शर्मा जी ने व्यवस्था पर प्रश्न उठाया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तीन माननीय सदस्यों के बारे में कहा है....

श्री देवांगन

देवांगन\03-07-2018\b14\12.10-12.15

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी तीन माननीय सदस्यों के बारे में हमने कहा है और पिछली बार सदन में वह स्थिति स्पष्ट हुई थी कि वे हमारे दल के हैं, जब उनके निलंबन होने के बारे में हम लोगों ने उठाया था कि उनकी स्थिति क्या है?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आ जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन विधायकों का उन्होंने जो कहा है, उसमें व्यवस्था आनी चाहिए।

व्यवस्था

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986

अध्यक्ष महोदय :- भारतीय राष्ट्रीय कांगेस विधायक दल के नेता श्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा मेरे समक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 के नियम 6 के अधीन श्री अमित अजीत जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक, सदस्य को संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता ग्रस्त किये जाने के संबंध में अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। उस पर मैं परीक्षण उपरांत अपना विनिश्चय दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कब तक ? आज शाम तक, कल तक, सत्रावसान में ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसा विषय नहीं आया है। यह आप आसंदी का अपमान कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अपमान नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। आज तक इस प्रकार की बात नहीं आयी है, आसंदी से कभी ऐसा नहीं पूछा गया कि आप कब तक व्यवस्था देंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भूपेश जी, किसी भी बात का निर्णय करने के लिए बहुत सी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन करने के बाद जैसे ही परीक्षण पूरा हो जायेगा, निणर्य दे दिया जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, वह आपका अधिकार है, विशेषाधिकार है और जहां तक सदस्यों ने चाहा, आप जब आदेश करेंगे, आप जब ऐसी व्यवस्था देंगे चर्चा के लिए, उसमें आपका निर्णय अलग है, आप जब चाहेंगे उस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वे जवाब चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग चर्चा करने के लिए अगर निवेदन करेंगे तो उस पर विचार करेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, कल शून्यकाल के समय यह व्यवस्था दी गई थी कि शून्यकाल के समय में कोई डिसकशन नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने पालन किया। आज

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शून्यकाल में हर प्रकार की चर्चा हो रही है। हम लोगों को चर्चा से, अगर आप जवाब चाह रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, आप कहें कि नेता प्रतिपक्ष आप जवाब दे दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह जवाब आपसे मांग रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद कभी भी चर्चा हो सकती है। व्यवस्था का प्रश्न आप प्रश्नकाल के बाद कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आसंदी आपसे केवल निवेदन करती है कि ये व्यवस्थाएं हैं, इसका पालन करें। उसके बाद भी अगर कोई माननीय सदस्य खड़े होकर के बोलते हैं आसंदी अमूमन उसको रोकती नहीं है। इसलिए कल मैंने व्यवस्था दी थी, माननीय सदस्यों को आज उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मैंने आपको सुन लिया, बस इतनी बात है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों के लिए यह चिंता का विषय है कि सदन की सम्माननीय सदस्या माननीय रेणु जोगी जी को लगातार कांग्रेस विधायक दल द्वारा अपमानित किया जा रहा है। (शेम-शेम की आवाज) ... (व्यवधान)...।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद ये बात आ रही है। ...(व्यवधान)...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी आसंदी का अपमान कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आसंदी का अपमान कर रहे हैं। ... (व्यवधान)...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने रेणु जी के मामले में व्यवस्था दी है कि यह आंतरिक मामला है और उसके बाद ये आसंदी का अपमान कर रहे हैं। शर्मा जी आसंदी का अपमान कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपने निवेदन किया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आने के बाद भी ये कह रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी अपनी पार्टी की चिंता करें। आपकी पार्टी के बहुत से सदस्य कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ... (व्यवधान)...।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, आसंदी से व्यवस्था आ गयी है, उसके बाद इस प्रकार की बात करना यह आसंदी का अपमान है। ... (व्यवधान)...।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी अपनी पार्टी की चिंता करें। आपकी पार्टी के बहुत से सदस्य कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- वोरा जी, आपकी आवाज गई।

अध्यक्ष महोदय :- अरूण जी एक मिनट । माननीय वरिष्ठ मंत्री जी खड़े हैं, आप बैठ जाइये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, परंतु जो विधायक दल है, विधान सभा में व्यवस्था है एक पक्ष और एक प्रतिपक्ष । पक्ष के दल के सदस्यों के द्‌वारा अगर पक्ष के, विपक्ष के किसी माननीय सदस्य, जो विधान सभा का सदस्य है और विधान सभा के चलते समय अगर उसका अपमान होता है तो यह पूरी विधान सभा का अपमान है। (शेम शेम की आवाज) और इसलिए उसको Cognizance लेना चाहिए क्योंकि विधायक दल जो बना हुआ है, वह आपकी अनुमति से बना हुआ है। आपने नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। **(XX)**[4]

श्रीमती सविता

सविता\03-07-2018\b15\12.15-12.20

[4] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

....जारी श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधान सभा चलते समय तो मुझे लगता है ये उस विधायक का अपमान है और इसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े अफसोस और **(XX)**[5] की बात है, अगर वरिष्ठ मंत्री जी इस प्रकार की बात सदन में कर रहे हैं। ये **(XX)** कौन कर रहा है ? **(XX)** कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने खुलकर कहा है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ आप लोगों को **(XX)** नहीं आती, **(XX)** आप लोगों को **(XX)** आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी, एक मिनट रूक जाईये।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- **(XX)** आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ये सब **(XX)** वगैरह को हटा देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय):- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक बात ये है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- ये भाषा बहुत आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उसको विलोपित करिये। (व्यवधान)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, **(XX)** आनी चाहिए। **(XX)**......(व्यवधान)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि...। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप खड़े थे हमने आसंदी का सम्मान करते हुए बैठे थे।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- हम भी बैठ गये।

श्री भूपेश बघेल :-नहीं-नहीं।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बैठने के बाद खड़े हुए।

---

[5] **(xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी निवेदन कर रहे हैं। मेरी आपत्ति ये है जिस तरीके से, जिस भाषा का.....। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आ गई, उसके बाद आप ये मामला उठा रहे हैं। आप उठा रहे हैं आपके सीनियर मंत्री बृजमोहन जी उठा रहे हैं...... (व्यवधान)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अफसोस की बात है और वाकई में सदन के लिए **(XX)**[6] की बात है जिम्मेदार मंत्री वहां से ईशारा करके अन्य मंत्रियों को बोलते हैं कि बोलो और इस प्रकार का माहौल खड़ा कर रहे हैं एक सदस्य के संबंध में। ये बहुत ही अफसोस और **(XX)** की बात है इस सदन की कार्यवाही के लिए। (व्यवधान) दूसरे मंत्री को ईशारा करके बोल रहे हैं कि बोलो और आपस में ईशारा करके बोल रहे हैं कि बोलो। इस तरह से सदन चलेगा ? संसदीय कार्यमंत्री ईशारा करके बोल रहे हैं कि इस बात को उठाओ, आपकी व्यवस्था आने के बाद। ये बहुत अफसोस की बात है। (व्यवधान)

श्री चौधरी

चौधरी\03-07-2018\b16\12.20-12.25

.. (व्यवधान)..

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.एस.यू.आई. के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान के द्वारा छत्तीसगढ़ की एक महिला को अपमानित किया गया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

---

[6] **(xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि क्या रेणु जोगी जी ने आपको कहा कि हम किस बात में चर्चा कर रहे हैं?

.. (व्यवधान)..

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- पहले अपने शब्द वापिस लें।

.. (व्यवधान)..

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार चर्चा से भागना चाहती है और इसलिए यह सब नौटंकी कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पाण्डेय जी, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या रेणु जोगी जी ने आपको कहा? आप जवाब दीजिए, आप किस बात पर चर्चा कर रहे हैं।

.. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय :- आप एक-एक बार बात रखेंगे तो ठीक होगा। इस संबंध में माननीय श्रीमती रेणु जोगी जी शायद अपना पक्ष रखना चाह रही हैं।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो विषय था, वह विषय एक व्यवस्था के प्रश्न पर था कि उस व्यवस्था के तहत जो बात थी, उस पर तो आपकी व्यवस्था आ गई। हमारी आपत्ति नेता प्रतिपक्ष जी के व्यवहार पर है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, यह तरीका ठीक नहीं है इसलिए हम चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात को वापस लें और सदन से क्षमा मांगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, मैंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। .. (व्यवधान).. यह वाकई में लज्जित करने वाला है। इस सदन को लज्जित किया है। ये विमल चोपडा जी के संदर्भ में इतनी उनको चोट आई, एक सवाल किया, एक विधायक के साथ मारपीट की गई, विमल चोपड़ा जी के शरीर में कितनी चोट आई, क्या एक भी सवाल किया? यह सदन में सदस्यों की गरिमा की बात करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- निवेदन करने का अधिकार आपका है तो निवेदन करने का अधिकार हमारा भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी आपत्ति इस बात पर है कि नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया और जिस तरीके से कहा है, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि इस सदन में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जी ने बात कही है, वह अत्यन्त ही अपमानजनक है, निंदनीय है और उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

.. (व्यवधान)..

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर निंदनीय है तो सत्तापक्ष के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का वह व्यवहार **(XX)** क्या विमल चोपड़ा के बारे में बोला? **(XX)** इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(सदन की कार्यवाही 12.25 बजे से 12.52 बजे तक स्थगित रही।)

श्री अरविन्द

अरविंद\03-07-2018\b17\12.30-12.35

समय 12.52 बजे **(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरी शंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए)**

डॉ0 विमल चोपड़ा (महासमुन्द) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से सरकारी संस्थाओं के लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसके कारण किसानों को खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है। सरकार यह कोशिश करे कि जल्दी उनकी हड़ताल खत्म हो और किसानों को खाद-बीज मिले। वहीं विद्या मितान के लोग भी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार ने आऊट सोर्सिंग से बाहर से लाने को कहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग ही आऊट सोर्सिंग में वहां नौकरी कर रहे हैं। उनको 28 हजार रूपये के बजाय 15 हजार रूपये मिल रहे हैं। उनकी समस्या हल की जाए।

श्री केशव चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महासमुन्द में पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया था, उसमें मैं कल स्थगन दिया था और आप आसंदी से व्यवस्था देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- काहे के सम्बन्ध में ?

श्री केशव चन्द्रा :- महासमुन्द में 19 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ था।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, विमल चोपड़ा जी की जो पिटाई हुई है, हम देखना चाहते हैं कि मार कहां-कहां लगी है, आज जरा कपड़े निकालकर दिखाईये कि कहां-कहां लाठी पड़ी है ? आपको केवल शर्ट उतरना है।

अध्यक्ष महोदय :- जो स्थगन आया था, उसको अग्राह्य कर दिया गया है।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो प्रक्रिया थी, उसमें शायद आपका वक्तव्य आता। लेकिन आपने मुझे आमंत्रित किया है। माननीय धनेन्द्र साहू जी ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था। प्रदेश में लगातार किसानों की लगातार हो रही आत्महत्या ...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, शून्यकाल को सुन लूं। शून्यकाल में दो-चार लोग और बचे हैं, उसके बाद आप बोलियेगा।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, छत्तीसगढ़ में लगातार किसाना आत्महत्या कर रहे हैं। हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है, ग्राह्य करके चर्चा कराया जाए। यह छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है।

श्री कवासी लखमा (कोन्टा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक व्यापारी को घर से बुलाकर नक्सलाईटों ने रात को मारकर फेंक दिया है। बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेकार हो गया है। उसको सरकार दुरूस्त करे। इसलिए मैं शून्यकाल में इस बात को उठा रहा हूं। आज न व्यापारी सुरक्षित है, न ठेकेदार सुरक्षित है, न आम आदमी सुरिक्षत है। गांव वालों को तो पुलिस मारता है, दूसरे लोगों को, नेता लोगों को, ठेकेदार लोगों को नक्सलाइट मारता है। आज पूरा बस्तर सुरक्षित नहीं है।

........श्री श्रीवास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीवास\03-07-2018\b18\12.30-12.35

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, फसल बीमा राशि, सूखा राहत राशि, किसानों को नहीं मिल पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब जी ने मस्तूरी विकास यात्रा में बटन दबाया है, शायद बटन ठीक से दबा नहीं है । थोड़ा कष्ट करेंगे ।

श्री दीपक बैज (चित्रकोट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जगदलपुर में एक विजय भवन परिसर में तहसीलदार द्वारा ताला लगाया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी में ताला लगाया गया है कि मां और बच्चे अंदर है, उसे कैद कर सील लगा दिया गया है। इस मामले को सरकार गंभीरता से ले ।

डॉ.प्रीतम राम (सामरी) :- अध्यक्ष महोदय, मेरे सामरी विधान सभा क्षेत्र में राजपुर विकासखण्ड में ग्राम बैढ़ी में एक ज्ञान खूजूर नाम के एक मजदूर क्रेशर में काम कर रहा था । वहां के एस.डी.एम. वहां जाकर क्रेशर मालिक का नाम पता नहीं बता पाने के कारण उसको बहुत ही बेदर्दी से लाठी ठण्डे से पिटाई किया है, इसके संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है। कृपया उसे ग्राहय करने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय :- बताईये अमरजीत भगत ।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरगुजा संभाग में सड़कों की हालत बहुत खराब है । अंबिकापुर से सीतापुर, पत्थलगांव और झारखण्ड और उड़ीसा को जोड़ने वाली सड़क और अंबिकापुर से राजधानी को जोड़ने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है। रोड जाम होने लगा है । अंबिकापुर के रिंग रोड की स्थिति भी वही है । इस ओर हमारा ध्यानाकर्षण है । इसमें चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री वृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- अध्यक्ष महोदय, कन्हर नदी में अमवार डैम बन रहा है, वहां पर अचानक बांध की ऊंचाई बढ़ गया है । 15 दिन से लगातार हवाई सर्वे मई महीना में हुआ है । बिना छत्तीसगढ़ सरकार के अनुमति के सर्वे भी हुआ है । लगभग 20-25 गांव प्रभावित हुये हैं । इस पर ध्यानाकर्षण लगाये हैं, कृपया ग्राहय कर चर्चा करायें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग-भिलाई की प्रमुख नदी शिवनाथ नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है, 10 लाख से अधिक की आबादी अपनी प्यास बुझाती है । 100 गांव ऐसे लगे हैं, जहां सिंचाई और निस्तारी होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें आप क्या चाहते हैं ?

श्री अरूण वोरा :- उसमें मैं यह चाहता हूँ कि शहर के जितने भी गन्दे नाले हैं, उन नालों का पानी उसमें पहुंचता है । उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने की आवश्यकता है ।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान परेशान है। सोसायटी के जितने कर्मचारी हैं, वह हड़ताल में चले गये हैं । बीज और खाद उनको नहीं मिल पा रहा है । किसान भटक रहे हैं ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- राजनांदगांव जिले में बीमा राशि के वितरण में अनियमिततायें हैं, इसके बारे में ध्यानाकर्षण लगाया हूँ । कृपया ग्राहय करें ।

श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, अकलतरा बाई पास दो साल से स्वीकृति होने के बाद भी प्रारंभ नहीं किया गया है । आये दिन बड़ी-बड़ी वाहनों की दुर्घटनायें होती है ।

श्री केशव चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आऊट सोर्सिंग के माध्यम से जो विद्या मितान की नियुक्ति की गई है, वह सभी प्रदेश के हैं । उनको कम तन्ख्वाह दिया जा रहा है । उसी प्रकार बी.एड;, डी.एड. करके जो योग्यता हासिल किये हैं, यहां पर 50 हजार शिक्षा कर्मियों के रिक्त पद हैं । उनके जगह पर उनकी भर्ती की जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण दिया है । कृपया ग्राहक करके चर्चा करायें ।

श्री गिरवर जंघेल (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी खैरागढ़ विधान सभा में किसानों का बोनी का समय है, ऐसी स्थिति में सोसायटियों में खाद-बीज नहीं मिल रहा है । किसानों में बहुत ही आक्रोश है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रेणू जोगी को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाने संबंधी उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने पूर्व में व्यवस्था दे दी है, इसके पश्चात जिन सदस्यों ने असंसदीय शब्दावली का प्रयोग किया होगा, उसको मैं कार्यवाही देखकर विलोपित कर दूंगा । इसके पश्चात इस मामले का यहीं पटाक्षेप करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश जी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है । लगातार किसानों की आत्म हत्या करने की खबरें आ रही है, मैं स्थगन पढ़ूं सर,.......

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैं पढ़ूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, एक तरफ किसानों को बोनस बांटने की बात कही जा रही है । सूखा राहत देने की बात कही जा रही है । बीमा देने की बात कही जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- इस संबंध में आपका स्थगन मेरे पास है ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह पूरे किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, इसे ग्राहय करके चर्चा करायें।

समय

12.34 बजे **स्थगन प्रस्ताव**

<u>प्रदेश में किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति</u>

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 34 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है :-

प्रथम सूचना - श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य

दूसरी सूचना - श्री भूपेश बघेल, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तीसरी सूचना - श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

चौथी सूचना - श्री उमेश पटेल, सदस्य

श्रीमती यादव

नीरमणी\03-07-2018\b19\12.35-12.40

जारी............अध्यक्ष महोदय :-

तीसरी सूचना - श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

चौथी सूचना - श्री उमेश पटेल, सदस्य

पांचवीं सूचना - श्री रामदयाल उइके, सदस्य

छठवीं सूचना - श्री अमरजीत भगत, सदस्य

सातवीं सूचना - श्री कवासी लखमा, सदस्य

आठवीं सूचना - श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

नौवीं सूचना - श्री गिरवर जंघेल, सदस्य

दसवीं सूचना - श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य

ग्यारहवीं सूचना - श्री मोहन मरकाम, सदस्य

बारहवीं सूचना - श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य

तेरहवीं सूचना - श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य

चौदहवीं सूचना - श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य

पंद्रहवीं सूचना - श्री दिलीप लहरिया, सदस्य

सोलहवीं सूचना - श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सत्रहवीं सूचना - श्री अरूण वोरा, सदस्य

अट्ठारहवीं सूचना - श्री संतराम नेताम, सदस्य

उन्नीसवीं सूचना - श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य

बीसवीं सूचना - श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य

इक्कीसवीं सूचना - श्री खेलसाय सिंह, सदस्य

बाईसवीं सूचना - श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य

तेईसवीं सूचना - श्री भोलाराम साहू, सदस्य

चौबीसवीं सूचना - श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य

पच्चीसवीं सूचना - श्री जनकराम वर्मा, सदस्य

छब्बीसवीं सूचना - डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य

सत्ताईसवीं सूचना - डॉ. प्रीतम राम, सदस्य

अट्ठाईसवीं सूचना - श्रीमती अनिला भेड़िया, सदस्य

उन्नतीसवीं सूचना - श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

तीसवीं सूचना - श्री दीपक बैज, सदस्य

इकत्तीसवीं सूचना - श्रीमती तेजकुंवर नेताम, सदस्य

बत्तीसवीं सूचना - श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य

तैंतीसवीं सूचना - श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य

चौंतीसवीं सूचना - श्री टी.एस. सिंहदेव, सदस्य

चूंकि श्री धनेंद्र साहू, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश में किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या किये जाने के मामले सामने आ रहे हैं । दिनांक 01.04.2018 को ग्राम खड़ौदाखुर्द, ग्राम पंचायत बोड़ला, जिला कवर्धा के किसान सुशील महोबिया, दिनांक 06.05.2018 को जिला बेमेतरा के ग्राम ठेलका के किसान धनेश्वर साहू, दिनांक 07.06.2018 को जिला बिलासपुर के ग्राम पिपरिया के किसान सुरेश मरावी एवं दिनांक 20.06.2018 को जिला महासमुंद के ग्राम लमकेनी के किसान गाणा राम ध्रुव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । आत्महत्या करने वाले ये सभी किसान कर्ज से परेशान थे । राज्य सरकार की गलत नीतियां एवं किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता व भ्रष्टाचार के कारण, प्रदेश में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है । फलस्वरूप कर्ज से परेशान होकर किसान आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठा रहे हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2015 से 30 जून 2017 तक प्रदेश में 1271 किसानों ने आत्महत्या की है । विगत् दो सालों से प्रदेश में अवर्षा व सूखे की स्थिति निर्मित हुई, जिसके कारण किसानों की फसलें प्रभावित होने से वे कर्ज पटा पाने में असमर्थ थे । राज्य सरकार द्वारा सूखा राहत की राशि का वितरण समय पर किसानों को नहीं हुआ और न ही किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल पाया । फसल बीमा अथवा सूखा राहत की जो राशि किसानों को मिल भी रही है तो उसे कर्ज में समायोजित कर दिया जा रहा है । ऊपर से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की जा रही है । किसानों के हाथ खाली हैं । किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है । किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है । प्रदेश में खेती की बढ़ती लागत और निरंतर घटती आय के कारण किसानों की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो चुकी है और स्थिति अनियंत्रित होकर विस्फोटक रूप धारण करती जा रही है । अनेक जगहों पर किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन व प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं । अतएव इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर तत्काल चर्चा कराई जावे ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं । यह भी कहना सही नहीं है कि किसानों द्वारा कृषिगत कारण एवं ऋण ग्रस्तता की वजह से प्रदेश में अप्रैल 2015 से 30 जून, 2017 तक 1271 किसानों ने आत्महत्या की है वस्तुस्थिति यह है कि स्थगन प्रस्ताव में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिन 04 विशिष्ट प्रकरणों का उल्लेख है उनके संबंध में जांच के दौरान तथ्य प्रकाश में आये हैं उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है -

1. मृतक सुशील अहिलवार दिनांक 01.04.2018 को फांसी लगाने की सूचना पर थाना बोड़ला जिला कबीरधाम में जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि मृतक अपने जमीन राशि रूपये 3,80,000 (तीन लाख अस्सी हजार) में बेचने का सौदा कर चुका था, लेकिन जमीन आबादी पट्टा की थी इसलिये जमीन की बिक्री नहीं हो पाई । जांच में किसी प्रकार का ऋणग्रस्तता की बात नहीं पता चली है । मृतक धनेश्वर साहू पिता रामखिलावन साहू ....जारी

.............श्री यादव

यादव\03-07-2018\c10\12.40-12.45

................(जारी श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- 2. मृतक धनेश्वर साहू पिता रामखेलावन साहू निवासी ठेलका थाना थानखम्हरिया जिला बेमेतरा ने दिनांक 06.05.2018 को फांसी लगाकर आत्महत्या की है । मर्ग की जांच के दौरान जप्त सुसाईड नोट में मृतक ने गोभी फसल में नुकसान होना एवं चार पहिया बोलेरो वाहन की किश्त की राशि 2,57,000 (रूपए दो लाख संतावन हजार) बाकी होना लेख किया है । मृतक एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था । जीवन यापन अच्छे से निर्वाह कर रहा था । जांच एवं सुसाईड नोट पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कर्ज वसूली के लिए परेशान करना नहीं ज्ञात हुआ है । मृतक की पत्नी, पिता, भाई, एवं जीजा ने जांच के दौरान कर्ज से परेशान होने की बात नहीं बतायी । मृतक कृषिगत कारणों से ऋणग्रस्त नहीं था ।

3. सुरेश मरावी ग्राम पिपरिया द्वारा आत्महत्या करने पर थाना पेण्ड्रा में मर्ग क्रमांक 50/18 दिनांक 07.06.2018 को कायम कर जांच की जा रही है । जांच पर ज्ञात हुआ कि मृतक सुरेश मरावी आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लरकेनी का नियमित सदस्य था जिसने समिति से वर्ष 2017 - 2018 हेतु किसान क्रेडिट कार्ड से रूपए 1,50,840 का ऋण लिया था। विगत् वर्ष सूखा के कारण शासन योजनांतर्गत ऋण राशि तीन वर्ष के लिये ऋण परिवर्तन किया गया । ऋण परिवर्तन के कारण कृषक के बचत खाते में कोई ऋण की राशि शेष नहीं है। मृतक को प्रधानमंत्री फसल योजनांतर्गत 1,79,547.55 रूपए बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हुई थी। वर्तमान में मृतक के बचत खाते में 1,83,190 रूपए जमा हैं । इस प्रकार की जांच

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा की गई जिसमें कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करना नहीं पाया गया ।

4. दिनांक 19.06.2018 को ग्राम लमकेनी थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के किसान गाड़ा राम ध्रुव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पूर्व में पेड़ से गिर जाने के कारण उसकी बायीं कोहनी में दर्द था जिसका घरेलू ईलाज चल रहा था । इसी दर्द से परेशान होकर दिनांक 16.06.2018 की रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ।

यह सही है कि विगत दो से तीन वर्षों में राज्य का बड़ा क्षेत्र अल्पवर्षा/सूखा प्रभावित रहा है । खरीफ 2015 में राज्य की 117, खरीफ 2016 में 09 तथा खरीफ 2017 में 96 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि राज्य शासन आपदा की इस घड़ी में कृषकों के साथ खड़ी रही तथा उन्हें हरसंभव सहायता भी पहुंचाई गई है। सूखा प्रभावित किसानों को यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों में संशोधन करते हुए पूर्व निर्धारित 50 प्रतिशत क्षति के मापदंड को कम करते हुए 33 प्रतिशत क्षति की स्थिति में भी आपदा राहत देने का प्रावधान किया गया है ताकि अधिक से अधिक कृषकों को लाभांवित किया जा सके । इसके अलावा वर्ष 2015 के अभूतपूर्व सूखे से प्रभावित कृषकों को खरीफ 2016 में 1 हेक्टेयर तक भूमि के लिए नि:शुल्क धान बीज उपलब्ध कराया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के 6 लाख 95 हजार से अधिक कृषकों को 4 लाख 55 हजार क्विंटल से अधिक धान बीज नि:शुल्क वितरित किया गया है । खरीफ 2015 में ही खुले जल स्त्रोतों से सुरक्षात्मक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने डीजल सब्सिडी की योजना क्रियांवित की गई जिसके अंतर्गत 16 हजार 269 कृषकों को डीजल पंप से सिंचाई हेतु रूपए 3 करोड़ 23 लाख से अधिक की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई ।

आपदा प्रभावित वर्षों में क्रियांवित फसल बीमा योजनाओं में भी समस्त पात्र कृषकों को योजना प्रावधानों के अनुरूप भरपूर दावा भुगतान भी प्राप्त हुआ है । खरीफ 2015 में संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत राज्य के 6 लाख 66 हजार 405 कृषकों को रूपए 696 करोड़ से अधिक का दावा भुगतान किया गया । इसी प्रकार आपदा प्रभावित खरीफ 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्य के 5 लाख 44 हजार 619 कृषकों को रूपए 1256 करोड़ 91 लाख से अधिक का दावा भुगतान किया गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्य के कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मौसमीय कृषि ऋण उपलब्ध कराने के कार्य में भी शासन सफल रहा है । प्रदेश के सहकारी बैंको के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वर्ष 2015 - 2016 में 9.39 लाख किसानों को रूपए 2884 करोड़ 10 लाख, वर्ष 2016 - 2017 में 9.52 लाख किसानों को रूपए 3312 करोड़ 80 लाख, वर्ष 2017 - 2018 में 9.60 लाख किसानों को रूपए 3546 करोड़ 60 लाख एवं वर्ष 2018 - 2019 में 30 जून, 2018 की स्थिति में 5.86 लाख किसानों को रूपए 1925 करोड़ 81 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2015 में राज्य शासन द्वारा आंशिक ऋण माफी की योजना सूखा प्रभावित क्षेत्र के कृषकों के लिए लागू की गई थी जिसमें आर बी सी 6 - 4 के अंतर्गत राहत पाने वाले कृषकों को उक्त योजना हेतु पात्र घोषित किया गया था । उक्त योजना........(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\03-07-2018\c11\.-.5

जारी.. श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उक्त योजना में खरीफ 2015 के अल्पकालीन कृषि ऋण की 75 प्रतिशत राशि जमा करने वाले कृषकों का 25 प्रतिशत ऋण राशि माफ की गई थी। उक्त योजना में 01 लाख 89 हजार 379 कृषकों को रूपये 129 करोड़ 73 लाख का ऋण माफ किया गया था।

उक्त योजना के अंतर्गत ही 10170 किसानों का रूपये 20 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि का ब्याज मुक्त ऋण परिवर्तन किया गया था एवं 1 लाख 22 हजार 828 किसानों को रूपये 313 करोड़ 19 लाख रूपये का 12 प्रतिशत ब्याज सहित ऋण परिवर्तन किया गया था। वर्ष 2017-2018 में सूखा प्रभावित ऐसे ग्रामों में जहां अनावारी 37 पैसे से कम घोषित की गई है उन ग्रामों के 1.66 लाख कृषकों द्वारा खरीफ 2017 में दिये गये रूपये 535 करोड़ 30 लाख अल्पकालीन कृषि ऋण को मध्यमकालीन ऋण में तीन वर्षों हेतु परिवर्तित किया गया है। ऐसे ग्राम जहां अनावारी 38 पैसे से 50 पैसे तक घोषित की गई है उन ग्रामों के 96 हजार कृषकों का रूपये 237 करोड़ 23 लाख का खरीफ 2017 में लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण को एक वर्ष हेतु स्थगित किया गया है। इस प्रकार कुल 2.63 लाख कृषकों के रूपये 772 करोड़ 53 लाख के ऋण परिवर्तित किये गये हैं जिससे ये किसान डिफाल्टर नहीं हों। फलस्वरूप ये सभी किसान शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर चालू खरीफ मौसम में ऋण प्राप्त कर रहे हैं। उक्त परिवर्तित मध्यमकालीन ऋण पर नियमानुसार 12 प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जावेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपरोक्त स्थिति में यह कहना पूर्णत: भ्रामक एवं तथ्यहीन है कि राज्य सरकार की गलत नीतियों से किसान परेशान हो रहे हैं। अपितु सत्य यह है कि राज्य शासन द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज, सूखा प्रभावित कृषकों को नि:शुल्क धान बीज वितरण 33 प्रतिशत क्षति को मान्य करने के निर्णय से कृषकों में हर्ष व्याप्त है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्य प्रतिशत ब्याज दर बोल रहे हैं जबकि 12.5 प्रतिशत ब्याज दर प्रभारित कर रहे हैं। (शेम-शेम की आवाज) ऋण को स्थगित कर रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में न तो खाद मिल रहा है न बीज मिल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी हमारे शासन के द्वारा लगभग 1700 करोड़ रूपये के बोनस की राशि किसानों को उपलब्ध करवाई गई है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- किसानों से प्रीमियम कितना लिया?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 127 करोड़ रूपये। किसानों ने 127 करोड़ रूपये बीमे का प्रीमियम पटाया और 1256 करोड़ रूपये बीमे की राशि उपलब्ध कराई गई है। जो पूरे देश का रेशियो है उस रेशियो में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल क्षति का सही आंकलन नहीं है। जिनका फसल नुकसान हुआ है उनका सही आंकलन तो कराईये। जिनकी फसल खराब हुई है उनकी आप जांच नहीं करा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही किसानों को सूखा राहत के तहत 556 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये हैं। इतना ही नहीं हम किसानों को बिजली बिल की जो माफी करते हैं उसमें 2100 करोड़ रूपये हम हर वर्ष उपलब्ध करवा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इतना ही नहीं किसानों को सब्सिडी के रूप में हम जो ड्रिप देते हैं, स्प्रिंकलर देते हैं, इसके अलावा हम किसानों को बीज देते हैं उसमें भी हम 450 करोड़ किसानों को उपलब्ध करवाते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन में नहीं होता।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखित उत्तर होने के बाद वह भाषण दे रहे हैं तो क्या आपने ग्राह्य कर लिया है? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि लिखित उत्तर के बाद ये भाषण दे रहे हैं। यदि आपने ग्राह्य कर लिया है ये भाषण दे रहे हैं, तो हम लोग भी भाषण दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, धनेन्द्र साहू जी कुछ कह रहे थे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हम लोग शासन के उत्तर से असंतुष्ट हैं और बहिर्गमन कर रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं।

समय: 1.15 बजे **बहिर्गमन**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री कुरैशी

कुरैशी\03-07-2018\c12\1.15-01.20

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष घोषित है और परम्परा यह रही है कि सदन में बहिर्गमन की घोषणा हमेशा ही नेता प्रतिपक्ष करते रहे हैं । आज बहिर्गमन की घोषणा माननीय भूपेश बघेल जी करके गए हैं । तो क्या टी.एस.सिंहदेव जी की जगह, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भूपेश बघेल जी को दे दिया गया है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

? मैंने व्यवस्था का प्रश्न रखा है, निवेदन है कि स्पष्ट कर दें । सदन में नेता प्रतिपक्ष माननीय भूपेश जी हैं या टी.एस.सिंहदेव जी हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने पूर्व में भी इस संबंध में व्यवस्था दी है कि ये उनके दल का आंतरिक मामला है । आप जो बात कह रहे हैं उसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मैं आपकी आपत्ति को रिजेक्ट करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन तो नियम परम्पराओं से चलता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय :- हो गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन आपके निर्देशों से संचालित होता है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- इनसे जुड़े हुए विधायक की पिटाई हो गई तो उस पर इनको चिंता नहीं होती ।

समय

1.17 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) **अधिसूचना क्रमांक 178/एफ-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.**

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3, सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 178/एफ-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29 मई, 2018 पटल पर रखता हूं ।

(2) **अधिसूचना क्रमांक एफ-2(1)/48/सं.का./2018, दिनांक 16 मई, 2018 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-2(2)/48/सं.का./2018, दिनांक 16 मई, 2018**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7, सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-2(1)/48/सं.का./2018, दिनांक 16 मई, 2018 तथा

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

2. अधिसूचना क्रमांक एफ-2(2)/48/सं.का./2018, दिनांक 16 मई, 2018 पटल पर रखता हूं।

(3) **अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32,**

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 30 मई, 2018 पटल पर रखता हूं।

(4) **अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32**

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16, सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 22 मई, 2018 पटल पर रखता हूं ।

समय1.19 बजे **ध्यानाकर्षण सूचना**

1. प्रदेश में हाथियों के आतंक से जन-धन की हानि.

सर्वश्री अमरजीत भगत (सीतापुर), श्री टी.एस.सिंहदेव, डॉ. प्रीतमराम :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -

प्रदेश में हाथियों के आतंक से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है एवं आए दिन जन-धन की हानि तथा मानव व हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं, भय व दहशत का रूप ले चुकी हैं । दिनांक 16.04.2018 को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 60 से अधिक हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कांशीराम पंडो, सोनू पंडो व विनोद पंडो के घरों को तोड़कर घर में रखे अनाज व आलू इत्यादि को चट कर गये । बंशीपुर निवासी बुधराम के घर को भी तोड़कर भीतर रखे सामानों को तहस-नहस कर दिया । दिनांक 18.04.2018 को महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में भी दर्जनों हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है । 14-15 हाथियों के दल ने धान की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया । दिनांक 23.04.2018....................जारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

-- श्री अग्रवाल -

अग्रवाल\03-07-2018\c13\1.25-30

जारी....श्री अमरजीत भगत :- नुकसान पहुंचाया । दिनांक 23.04.2018 को हाथियों के एक दल ने अंबिकापुर-बनारस मार्ग को अवरूद्ध कर दिया । सूरजपुर वनमंडल के सोनगरा क्षेत्र में लगभग 35 हाथी कई दिनों से जमे हैं । दिनांक 27.04.2018 को जंगली हाथियों का एक दल रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक मुख्यालय के समीप पहुंच गया, जिससे गांवों में दहशत का माहौल है । महासमुन्द के बड़गांव, अछोली, अछोली के बादगुदुगदा, समोदा, चपरीद, अकोली होते हुए आरंग के निकट गुल्लू पहुंच गया और साग-सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया । दिनांक 04.05.2018 को कोरबा के मदनपुर गांव में हाथियों के एक दल ने पेड़-पौधों एवं अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया । दिनांक 27.05.2018 को कोरबा जिले के कटघोरा-अंबिकापुर मार्ग में एतमानगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंडई निवासी बोधन सिंह एवं उसकी पत्नी पिपरिया बाई के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें बोधन सिंह की मौत हो गई एवं उसकी पत्नी पिपरिया बाई गंभीर रूप से घायल हो गई । दिनांक 16.06.2018 को कोरबा जिले के ही करतला वन परिक्षेत्र के सकदुकला गांव में हाथी ने एक बुजुर्ग महिला नेवरथीन बाई को कुचलकर मार डाला, उसी दिन रात को रामचरण राठिया नामक व्यक्ति को तालाब जाते समय मार डाला तथा कटघोरा वन मंडल क्षेत्र के केंदई रेंज में हाथी के पैरों तले कुचलकर बगबुड़ा के सुकमत बाई यादव की मौत भी हुई । कोरबा सहित सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ में हाथियों के बढ़ते उत्पात को रोकने वर्ष 2005 में एलीफेंट रिजर्व को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में वर्ष 2007 में इस परियोजना को स्वीकृति दी और राज्य सरकार को वर्ष 2010 तक क्रियान्वयन करना था । एलीफेंट रिजर्व के लिए चिह्नित जिले के लेमरू, श्यांग, नकिया, विमलता बैल्ट में कैप्टिव कोल माईनिंग कम्पनी को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया । प्रदेश में कुल 17 जिले हाथी के उत्पात से प्रभावित हैं । उक्त जिलों में विगत 5 वर्षों में कुल 199 व्यक्तियों की मृत्यु हाथी के हमले में हुई तथा कुल 7000 घरों को नुकसान हुआ है । 32952.891 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है । कुमकी हाथियों पर एक करोड़ से ऊपर की राशि खर्च करने के बावजूद एक भी जंगली हाथी को रेडियो कॉलर नहीं लगाया गया । हाथियों के आक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रभावित लोगों सहित प्रदेशवासियों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट । आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से प्रदेश में जंगली जानवरों के आक्रमण से जन-धन की हानि की घटनाएं हो रही हैं, परन्तु वन विभाग द्वारा जन भागीदारी सुनिश्चित कर मानव-वन्य प्राणी द्वंद को नियंत्रित करने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं ।

ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित जंगली हाथियों के द्वारा मकान एवं सम्पत्ति हानि के प्रकरणों में प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान वन विभाग के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है । ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति भुगतान 9000 रूपये प्रति एकड़ की दर से किया जा चुका है ।

श्री देवांगन

देवांगन\03-07-2018\c14\01.25-01.30

जारी... श्री महेश गागड़ा :- दिनांक 26.05.2018 को कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल के एतमानगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी 463 में जंगली हाथी एवं ग्राम मडई निवासी स्व. श्री बोधन सिंह वल्द चौन्हाराम उराव का आकस्मिक आमना सामना होने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। इसी घटना में श्रीमती पिपरिया बाई पति स्व. श्री बोधन सिंह उराव भी घायल हो गयी। जनहानि प्रकरण में मृतक के परिवार को दिनांक 18.06.2018 को मुआवजा राशि रुपये 4 लाख का भुगतान वन मण्डलाधिकारी कटघोरा द्वारा किया गया तथा जनघायल प्रकरण में श्रीमती पिपरिया बाई को चिकित्सा उपरांत राशि रुपये 34,906/- (चौतीस हजार नौ सौ छ: रुपये) का भुगतान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी उत्तर पढ़ रहे हैं और कोई भी सदस्य, जिन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है, उन्होंने ईयर फोन नहीं लगाया है। बिना ईयर फोन के समझ ही नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अमरजीत भगत जी माननीय महेश गागड़ा जी की भाषा समझते हैं। (हँसी)

श्री महेश गागड़ा :- दिनांक 16.06.2018 को कोरबा जिले के सरदुकला गांव में एक बुजुर्ग महिला स्व. श्रीमती नेवरथीन बाई, पति स्व. श्री महेत्तर सिंह एवं स्व. श्री रामचरण राठिया वल्द श्री लटीराम राठिया की मृत्यु जंगली हाथी के कारण हो गई। जनहानि से पीड़ित प्रत्येक परिवार को तात्कालिक सहायता राशि रुपये 25000/- का भुगतान दिनांक 16.06.2018 को किया गया है। प्रकरण में शेष राशि का भुगतान मृतक के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर कर दिया जावेगा।

दिनांक 17.06.2018 को कटघोरा वनमण्डल के केंदई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 705 में ग्राम बगबुड़ा निवासी स्व. श्रीमती सुकमत बाई यादव पति श्री हीरासाय यादव का जंगली हाथी से अचानक आमना सामना होने से श्रीमती सुकमत बाई की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। प्रभावित परिवार को तात्कलिक सहायता राशि रुपये 25000/- प्रदाय की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर शेष राशि रुपये 3.75 लाख का भुगतान कर दिया जायेगा।

राज्य में मानव-हाथी द्वंद्व को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। हाथी प्रभावित गांवों में गीतों/नुक्कड़ नाटकों, द्वार-द्वार प्रचार, रैली, कार्यशाला, इत्यादि के माध्यम से हाथी-मानव द्वंद्व को कम करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बचाव के उपायों में चित्रों तथा पोस्टरों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। प्रभावित गांवों में संयुक्त वन प्रबंध समिति/हाथी मित्र दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें विभिन्न तकनीक का उपयोग कर मानव-हाथी द्वंद्व कम करने हेतु संसाधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी केन्द्र के माध्यम से हाथी के विचरण की जानकारी प्रतिदिन प्रसारित की जा रही है ताकि जिन क्षेत्रों में हाथी विचरण कर रहे हैं, वहां के ग्रामवासियों को हाथी की उपस्थिति की सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो जाये तथा हाथी से बचाव की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के वन कर्मचारियों द्वारा गश्त कर सतत निगरानी रखी जा रही है।

हाथी राहत एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, सूरजपुर वनमण्डल के अंतर्गत रमकोला बीट में की गई है, जिसमें समस्या मूलक हाथियों को सुधार हेतु रखा जायेगा। वर्तमान में इस केन्द्र में अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी से 2 हाथियों को लाकर रखा गया है।

जंगली हाथियों के प्रबंधन हेतु सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य के 60852.73 हे. बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभ्यारण्य के 43036.12 हे. एवं जशपुर जिले के बादलखोल अभ्यारण्य के 10445.43 हे. वनक्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 114334.28 हे. वन क्षेत्र को छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्र. एफ 8-6/2007/10-2 रायपुर दिनांक 15 सितंबर, 2011 के द्वारा सरगुजा-जशपुर हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। इस हाथी रिजर्व में वर्तमान में लगभग 57 जंगली हाथियों को विचरण करते देखा गया है।

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा कैप्टिव कोल माइनिंग कंपनी, रायपुर को दिनांक 13.01.2006 से नकिया-I एवं नकिया-II कोल ब्लांक आवंटित किया गया था, जिसमें नकिया, विमलता, रपटा एवं पेण्ड्राडीह ग्रामों की भूमि शामिल थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में पारित आदेश में जिन कोल ब्लाक का आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं, उसमें नकिया कोल ब्लाक भी शामिल है। वर्तमान में नकिया कोल ब्लाक का आवंटन भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है ना ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तित की गयी है।

जारी... श्रीमती सविता

सविता\03-07-2018\c15\1.35-1.35

जारी श्री महेश गागड़ा :- छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा देश के अन्य हाथी बाहुल्य राज्यों के प्रबंधन के अनुरूप रणनीतियों को क्रियान्वित किया जा रहा है । कर्नाटक राज्य से 05 कुमकी बनने योग्य हाथियों को छत्तीसगढ़ लाया जाकर महासमुन्द वनमंडल के पासिद अस्थाई कैम्प में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन हाथियों को छत्तीसगढ़ में लाने हेतु परिवहन कार्य में राशि रू. 24,19,472/-(चौबीस लाख उन्नीस हजार चार सौ बहत्तर रूपये) हाथियों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रख-रखाव पर राशि रू.7,13,638/-(सात लाख तेरह हजार छः सौ अड़तीस रूपये) प्रशिक्षण पर राशि रू.7,14,000/-(सात लाख चौदह हजार रूपये) एवं पासीद अस्थाई कैम्प की स्थापना आदि पर राशि रू.34,97,174/-(चौतीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ चौहत्तर रूपये) इस प्रकार कुल राशि रू.73,44,284/-(तिहत्तर लाख चवालीस हजार दो सौ चौरासी रूपये) का व्यय किया गया है। राज्य में दो जंगली हाथियों में सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर लगाया गया है। हाथियों में रेडियो कॉलर लगाये जाने के उपरांत, उनके विचरण की जानकारी रेडियो कॉलर के सिग्नल के माध्यम से विभाग को प्राप्त हो रही है जिसका उपयोग मानव-हाथी द्वंद्व को नियंत्रित किये जाने में किया जा रहा है।

जंगली हाथियों पर सतत् निगरानी रखे जाने हेतु 14 चलित हाथी सुरक्षा दस्तों का गठन किया जा रहा है। इन चलित हाथी सुरक्षा दस्तों के संचालन हेतु 84 गेमगार्ड के नियमित पद के सृजन, वाहन चालक के 28 संविदा पदों के सृजन एवं 14 रेस्क्यू वाहन के क्रय की अनुमति शासन के द्वारा प्रदान की गयी है। यह चलित हाथी सुरक्षा दस्ता दो पालियों में 24 घंटे जंगली हाथियों के समूहों की सतत् निगरानी में सक्रिय रहेगा।

विभाग द्वारा मानव-हाथी द्वंद्व को नियंत्रित करने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं और उम्मीद है कि निकट भविष्य में ही हाथियों से हो रही जनहानि तथा फसलहानि को काफी हद तक कम करने में सफलता प्राप्त होगी। मानव-हाथी द्वंद्व के नियंत्रण हेतु वन विभाग के द्वारा की जा रही सकारात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप प्रदेश वासियों में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो औपचारिकता की बात है कि माननीय मंत्री जी को वही उत्तर देना है जो उनके अधिकारी जानकारी भेजते हैं। लेकिन सही बात ये है कि सरगुजा संभाग सहित पूरे प्रदेश में, यहां तक के रायपुर के समीप भी महासमुंद, आरंग तक हाथी पहुंच गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल औपचारिकता निभायेंगे और उसके लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाएगी तो लोग इसी तरह से मरते रहेंगे और सरकार केवल जवाब तक ही सीमित रहेगी। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। जहां उन बस्तियों में हाथी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रवेश कर जाते हैं मैं थोड़ा सा दो मिनट का समय लूंगा। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दूंगा। लेकिन उसकी जो मेन समस्या है उसके बारे में एक जानकारी के लिए ये सब बता रहा हूँ...।

अध्यक्ष महोदय :- क्या है उन्होंने इतना लम्बा उत्तर पढ़ा, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं का जिक्र किया और कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि हाथी-मानव द्वंद्व हो रहा है या फसल नुकसान हो रहा है उसमें क्या करना चाहिए, बताईये ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस आ रहा हूँ। एकदम संक्षिप्त में दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल जवाब तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ठोस कार्ययोजना बननी चाहिए। आज वनक्षेत्र में लगातार वन का क्षेत्र सिमट रहा है और मानव और हाथी के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। आज पूरा प्रदेश इससे अछूता नहीं रहा गया है। इसमें जो कार्ययोजना बन रही है अगर जिस गांव में रात को हाथी प्रवेश कर जाए तो अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो जाता है। आपके पास इनके राहत और बचाव के लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। यहां तक की विकास प्राधिकरण की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मांग रखी गई थी कि जिस प्रकार मोटर व्हीकल ...।

अध्यक्ष महोदय :- ये वन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा पर भाषण दे रहे हैं। आप सुझाव दे दीजिए, कोई प्रश्न करना है तो आप प्रश्न करिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, जो सुझाव है उसको सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में जिस प्रकार से अग्रिम 25 हजार रूपये इलाज के लिए दिया जाता है इसको दिया जायेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद विभाग में आज तक वह आदेश नीचे नहीं पहुँचा। जिस गरीब के ऊपर ये दिक्कत आती है उसके पास ईलाज के लिए पैसा नहीं रहता और विभाग के पास भी कोई आवंटन नहीं रहता है। वे ट्रेजरी का इंतजार करता है कि ट्रेजरी से बिल पास होकर आएगा तो उसको मिलेगा। यदि हम लोग इस सदन में बैठते हैं सरकार की जवाबदारी है अगर किसी चीज की घोषणा हो तो उसका पालन होना चाहिए। गरीब आदिवासी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो जंगल के क्षेत्र में रहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और सरकार से आग्रह करूंगा कि जो उनके उपचार के लिए 25 हजार रूपये अग्रिम देने के लिए कहा था, वह आदेश विभाग तक पहुँचे और उसकी व्यवस्था सभी डिविजन में होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि...

जारी श्री चौधरी

चौधरी\03-07-2018\c16\01.30-01.35

पूर्व जारी.. श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मकान क्षतिग्रस्त होने पर कितनी राशि का प्रावधान किये हैं, क्या उससे मकान बन रहा है? मैनपाट में एक बहुत अच्छी कालोनी बनी है और वह हाथी प्रभावितों के लिए सुरक्षित है। उसी तर्ज पर 1 लाख 21 हजार समथिंग का है, क्या माननीय वन मंत्री जी इसके लिए कोई प्रावधान करेंगे?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मकान क्षति में अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग राशि का प्रावधान है कि कितना, किस प्रतिशत में उसका नुकसान हुआ है, उस प्रतिशत में उसका मुआवजा दिया जाता है। 15 से 25 प्रतिशत का नुकसान होता है उसमें 23775 से 23800 रुपये, 50 प्रतिशत नुकसान होने पर 47750 से 47600 रुपये, 75 प्रतिशत नुकसान होने पर 71325 रुपये, 100 प्रतिशत नुकसान होने पर 95100 रुपये का भुगतान किया जाता है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने पिछले 05 वर्षों में हाथी प्रभावितों केलिए उनके मुआवजा, फसल क्षति पर, ईलाज पर कितना व्यय किया है और उस क्षेत्र में एलीफेन्ट रहवासी क्षेत्र के लिए कितना खर्चा किया है, दोनों अलग-अलग बता दें?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पिछले 05 वर्ष की जानकारी है, उसको विस्तृत रूप से बताता हूं। वर्ष 2014-15 में प्रभावितों को जो मुआवजा दिया है, उसकी भुगतान राशि करीब-करीब 85 लाख रुपये थी, जन घायलों को भुगतान की राशि 27 लाख थी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फसल क्षति के रकबे में भुगतान की राशि 2 करोड़ 76 लाख थी, मकान एवं अन्य क्षतिपूर्ति राशि में 88 लाख का भुगतान किया गया है, इस प्रकार 2014-15 में 45 करोड़ 27 लाख 2584 रुपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2015-16 में प्रभावितों को मुआवजा की राशि 17 लाख 80 हजार रुपये थी, जन घायलों में भुगतान की राशि 8 लाख 64 हजार 729 रुपये थी, फसल क्षति पर भुगतान की राशि 68 लाख 12 हजार रुपये थी, इस प्रकार 2015-16 में कुल 12 करोड़ 25 लाख के आसपास का भुगतान किया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री महेश गागड़ा :- आप पूरा उत्तर सुनिये न, आप 5 साल का पूछे हैं, बीच में क्यों खड़े हो गये हैं ? अभी तो दो साल का ही बताया हूं।

श्री अमरजीत भगत :- चलिये, ठीक है, आप उत्तर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न लंबा कर दिये, 05 साल का पूछ लिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आप 02 साल के जवाब से संतुष्ट हैं तो उनको बिठा दूं। आपको आगे और कोई प्रश्न करना है तो आप कर लीजिए। बैठ जाईए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं हाथी कारीडोर के लिए केन्द्र सरकार ने 2007 में एक परियोजना स्वीकृत की थी, उस पर 2010 तकिक्रयान्वयन करना था। इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, किस स्थिति में है? क्या हाथी कारीडोर बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- यह अंतिम प्रश्न है, आपको जो पूछना है, इसी में पूछ लो।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। इसकी क्या स्थिति है, आपके लेबल पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में ही बताया है हाथी कारीडोर क्षेत्र था सूरजूपूर जिले के तमरपिंगला अभयारण्य में, बलरामपुर के सेमरसुता अभयारण्य में और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जशपुर के बादलखोर अभयारण्य में 1 लाख 4 हजार 334.28 हेक्टेयर वन क्षेत्र को हाथी रिजर्व घोषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू। हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा लेमरू प्रोजेक्ट के लिए आपको स्वीकृत किया गया था।

श्री अरविन्द

अरविंद\03-07-2018\c17\1.25-1.30

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी, हो गया, पर्याप्त समय हो गया। आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, आपस में जानकारी ले लेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में हाथी पहुंच जाते हैं, वहां पर लोगों का खाना-दाना बंद हो जाता है। चूल्हा-चक्कड़ नहीं जलता है और ऐसे में काम-धाम बंद हो जाता है। तो क्या आप उनके लिए जब तक हाथी का उस गांव में जमावड़ा रहे, उस गांव में हाथी का आमद रहे, उनकी मजदूरी के लिए व्यवस्था करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- इसी में अभी दो सदस्य बाकी हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप उनकी दैनिक मजदूरी की व्यवस्था करेंगे ? उनकी दैनिक मजदूरी बंद हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। श्री टी0एस0 सिंहदेव।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, अब कितना प्रश्न करेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथी जिस गांव में जाता है, वहां गरीब लोगों का काम-धाम बंद हो जाता है।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र ..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- जिन तीन सदस्यों ने ध्यानाकर्षण लगाया है,..।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी बात तो सुन लीजिये। तीन लोगों ने ध्यानाकर्षण लगाया है। अभी पहले सदस्य का प्रश्न पूरा नहीं हुआ है और आप लोग खड़े हो रहे हैं। मैं दूसरे सदस्य का नाम लूंगा, तीसरे सदस्य का नाम लूंगा, उसके बाद आ लोगों का नंबर आयेगा या पहले आयेगा?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबके क्षेत्र की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी समस्या से माननीय मंत्री जी अवगत हैं। उन्होंने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। आपने जो पूरक प्रश्न किया है, उसका भी जवाब दिया है। नेता प्रतिपक्ष भी पूछेंगे, उनका भी जवाब मिलेगा। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष को बुलाता हूँ। श्री टी0एस0 सिंहदेव।

डॉ0 विमल चोपड़ा :- सबका ध्यानाकर्षण है। मेरा भी ध्यानाकर्षण इस विषय पर है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके लिए मीनिमम वेजेस की व्यवस्था कर दी जाए। निर्देशित किया जाए। वहां काम-धाम बंद हो जाता है, खाना- पीना बंद हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- उसका भी उत्तर आ जायेगा। माननीय टी0एस0 सिंहदेव।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इन प्रभावित 17 जिलों में उनके अतिरिक्त कुल कितने जंगली हाथियों के विचरण की जानकारी राज्य शासन को है ?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में बताया है थ्क 57 दल विचरण कर रहे हैं। कई दलों में 5 से 7-10 हाथी समूह में रहते हैं। इस प्रदेश में ढाई सौ हाथी के पहुंचने की जानकारी है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ सौ से ज्यादा सरगुजा संभाग में है तो क्या शेष छत्तीसगढ़ में सौ हाथी की जानकारी दे रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- लगभग बोल रहे हैं।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, 57 दलों को 5 से गुणा किया हुआ है, उन्होंने लगभग ढाई सौ किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से उचित जवाब प्रतीत नहीं होता है। संख्या ज्यादा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- दूसरा, क्या शासन ने यह निर्णय लिया था कि एक सीमित समय के अंदर प्राथमिक 25 हजार रूपये देने के बाद शेष राशि उपलब्ध करा दिया जायेगा ? जवाब में यह आया है कि उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र इत्यादि और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की औपचारिकता को शासन ने क्या नया जोड़ा है ? शासन को स्वमेव कार्रवाई करके प्रभावित परिवारों को समय-सीमा के अंदर धनरशि उपलब्ध नहीं करा देनी चाहिए ?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर0बी0सी0 के तहत प्रकरण में प्रक्रिया है। उसके तहत यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, उस परिवार के उत्तराधिकारी का प्रमाण-पत्र की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार राशि अन्य व्यकित को मिलने के बाद मामला न्यायालय में चला जाता है। इसलिए तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समय-सीमा की बात कही थी। क्योंकि स्वयं शासन ने कहा था कि हम इतने दिनों के अंदर राशि उपलब्ध करा देंगे। तो जब तक वह प्रमाण-पत्र नहीं होगा, एक साल, दो साल, पांच साल, तब तक नहीं देंगे ? शासन ने स्वयं समय-सीमा की बात कही थी तो क्या शासन व्यवस्था करके समय-सीमा के अंदर इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराकर या लेकर के, किसे लेना है ? राजस्व विभाग से लेना है, आप कार्रवाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ? पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की बात मुझे समझ में नहीं आया, वह हाथी से मरा या नहीं, यह प्रथम दृष्टया साबित नहीं हो जाता कि पोस्ट मार्टम के लिए रूकना पड़ेगा?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने जो जमीनी कर्मचारी हैं, वह चाहे राजस्व विभाग के हों या चाहे बी0एम0ओ0 हो, जो पी0एम0 करते हैं, उससे रिपोर्ट प्राप्त करके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तत्काल ट्रेजरी में जमा करने का काम भी अपने विभाग के अधिकारी-कर्मचारी करते हैं। ताकि उनको समय सीमा के अंदर भुगतान मिल सके।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- समय सीमा 15 दिन या 25 दिन, कितना था ? शासन ने एक समय-सीमा घोषित की थी, 25 दिन यार 15 दिन, कितनी थी ? आपने सदन में भी घोषणा की थी।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा 15 दिवस के अंदर करने का रहता है। हम कोशिश करते हैं कि 15 दिवस के अंदर प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और उनको राशि का भुगतान मिल जाए।

........श्री श्रीवास

श्रीवास\03-07-2018\c18\12.45-12.50

श्री टी.एस.सिंहदेव :- शासन 15 दिन के अंदर करने का आश्वासन सदन को देती है क्या?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ लोक सेवक गारण्टी अधिनियम के तहत ऑल रेडी इसमें प्रावधान है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- विलम्ब के प्रमाण इसी में है, जो मृत्यु का उल्लेख है । आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है । विलम्ब का उल्लेख इसी में है ।

अध्यक्ष महोदय, इन हाथियों को वन्य हाथी अभ्यारण्य में ले जाने की दिशा में कितनी सफलता हासिल शासन ने की है ? कितने हाथियों को जो वन हाथी अभ्यारण्य क्षेत्र है, तीन मेरे ख्याल से घोषित है । कितने हाथियों को जो उस क्षेत्र के बाहर विचरण कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में पहुंचाने में सफलता हासिल की है ?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तमोर पिंगला रेस्क्यू सेंटर बना है, उसमें दो हाथी हमने रखा है । आने वाले दिनों में आपरेशन के माध्यम से जो उत्पाती हाथी हैं, उसको रेस्क्यू सेंटर में रखने का प्रावधान है । रेस्क्यू सेंटर बन चुका है और मुझे लगता है कि मानसून के बाद, बीच में काम चल भी रहा है, हम उसमें सतत लगे हुये हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- कितने हाथियों को पूछा था, अध्यक्ष महोदय ? सच्चाई यह है कि अभी तक नहीं पहुंचा पाये हैं । उस दिशा में जो भी योजना है,

उसको कार्यरूप जल्दी से जल्दी देना चाहिये । जो लेमरू के संबंध में सवाल आया था, शासन की नीति लेमरू हाथी अभ्यारण्य के संबंध में क्या है ? क्या शासन उसको एलीफेंट रिजर्व के रूप में आरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है या उसको शासन ने त्याग दिया है ?

अध्यक्ष महोदय :- ज्यादा से ज्यादा दो या तीन या चार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- इसी का जवाब आ जाये अध्यक्ष महोदय । संरक्षण मिला है, अगर ज्यादा हो गया है तो ....

अध्यक्ष महोदय :- आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ । चूँकि कार्यसूची के अंतिम विषय तक अपने को बैठना है । थोड़ा सा, जो चीज आ चुकी है, जो प्रश्न कर लिये हैं, उसको न करें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है । इस विषय में कोई चर्चा के लिए, कोई विशेष टाईम करवा दिया जाये । समय कम पड़ रहा है तो उसमें क्या है, कोई ठोस सुझाव आयेंगे ?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि सूरजपुर, बलराम और जशपुर जिले के तीन जो क्षेत्र हैं, जो करीब 1 लाख 14 हजार हेक्टेअर हैं । हाथी रिजर्व घोषित किया गया है । लेमरू की जो बात कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि उस प्रोजेक्ट में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रीतम राम ।

डॉ.प्रीतम राम :- अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे कि हमारे बलरामपुर जिले में तैमोर पिंगला रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जा रहा है । मेरी जानकारी में अभी तक कार्य कंपलीट नहीं हुये हैं । वहां पर जो कार्य चल रहे हैं, उसके संबंध में तरह-तरह के वहां पर चक्का जाम और विरोध व्यक्त किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कब तक रेस्क्यू सेंटर बनकर पूरा होगा और उसमें जंगली हाथियों को रखा जायेगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग पूर्णता की ओर है, बहुत जल्दी उसका लोकार्पण करके बाकी जो कार्य है, प्रारंभ कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- इस ध्यानाकर्षण का अंतिम प्रश्न । इसके बाद मैं दूसरा ध्यानाकर्षण करूंगा ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वही निवेदन आ रहा है, उन क्षेत्रों के लिए बहुत संवेदनशील मामला है । यदि आप उचित समझें, अलग से चर्चा करने के लिए आगे की कार्यवाही में अगर समय हो तो जरूर विचार किया जाये ।

डॉ. प्रीतम राम :- कुमकी हाथी को जब से लाये हैं, उसमें करोड़ो रूपये खर्च हो चुके हैं, कुमकी हाथी से जंगली हाथियों को किस तरह नियंत्रित किया जायेगा ? यह सिर्फ कहने का है । जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं या सचमुच में कुमकी हाथियों से जंगली हाथियों को नियंत्रित किया जायेगा ? मंत्री जी बतायें ।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं डॉक्टर हैं । कर्नाटक से हाथी लाये हैं तो यहां क्लाईमेट में एडजस्ट होने में समय लगेगा । दूसरे राज्य में भी आदमी आता है तो एडाप्ट होने में समय लगता है । निश्चित तौर पर जो हाथी है, अभी हाथी आपरेशन का काम चल रहा था, बहुत जल्दी सरगुजा में शिफट करने वाले हैं, वहां सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी सदस्यों से निवेदन है कि इस विषय पर आगे चर्चा न करके दूसरा ध्यानाकर्षण लिया जाये । श्री दलेश्वर साहू ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें ध्यानाकर्षण है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका है, लेकिन विषय सूची लम्बा है । भोजनावकाश नहीं किया है। इसके बारे में अभी वन विभाग की चर्चा होगी, अनुदान मांगों पर ......

डॉ.विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दो प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने निवेदन किया है कि आप बैठ जायें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विमल चोपड़ा :- मेरा ध्यानाकर्षण और मेरी विधान सभा भी ....

श्रीमती यादव

नीरमणी\03-07-2018\c19\01.50-01.55

अध्यक्ष महोदय :- मैंने निवेदन किया आप बैठ जायें ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- मेरा ध्यानाकर्षण और मेरी विधानसभा भी प्रभावित है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने व्यवस्था दी, आप बैठ जाईए ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यानाकर्षण था । मैं यह कह रहा था कि मुझे 1-2 प्रश्न पूछने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- अलग से कर लेंगे, समय बहुत हो गया । काफी समय हो गया है ।

(2) जिला-राजनांदगांव, विकासखण्ड डोंगरगढ़ अंतर्गत कृषकों को सूखा राहत राशि नहीं दी जाना ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

राजस्व विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं जैसे-सूखा, बाढ़, अग्नि, भूकंप आदि से प्रभावितजनों को त्वरित रूप से राहत पहुंचाने के लिये राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अनुसार सूखा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर राहत शाखा कक्ष क्रमांक 37 जिला कार्यालय राजस्व को ई-मेल आईडी या फैक्स/विशेष वाहक के हस्ते तत्काल पत्र समय सीमा में भिजवाना सुनिश्चित करने हेतु आदेश किया ।

समय : **(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए ।)**

1.52 बजे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिसके परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगढ़ ग्राम ठेकवा प. हल्का नं. 11 निवासी श्री तिलक/पुरूषोत्तम (सूची में कृषक संख्या 01) आलीवारा प. हल्का नं. 19 श्री घनश्याम आ. चैना लोधी (सूची में कृषक संख्या 02) तथा ग्राम कसारी प.ह.नं. 12- श्री गरीबा/दशरत, अन्य (सूची में कृषकों संख्या 09) पेन्डरी प.ह.न. 11 श्री भूवन/हरि. (सूची में कृषक संख्या 01) खैरा प.ह.नं. 11 श्री लेखू/बजू, अन्य (सूची में कृषक संख्या 05) खुड़मुड़ी प.ह.न. 11 श्री नारायण/ मगरू (सूची में कृषि संख्या 01) ग्राम भनपुरी प.ह.नं. 16 श्री भोला आ. मोहन लाल, अन्य (सूची में कृषकों की संख्या 14) ग्राम रेगाठेकरा प.ह.नं. 12 श्री हेमन्त आ.स्व. देवसिंग, (सूची में कृषक संख्या 01) ग्राम अन्यानवागांव प.ह.नं. 11 अनिता पति तमेश्वर लोधी, तमेश्वर, आत्मज टोवाराम, अन्य (सूची में कृषक संख्या 05) प.ह.नं. 09 तमेश्वर आत्मज टोवाराम (सूची में कृषक संख्या 01) ग्राम लाभानीभाठा प.ह.नं. 14 श्री बन्नू आत्मज रामसुख अन्य (सूची में कृषकों संख्या 33) ग्राम गिधवा प.ह.नं. 39 नवल राम सिन्हा आत्मज मिलन सिंहा, बिसम्बर आत्मज सुकुल साहू (सूची में कृषकों संख्या 02) ला.ब.नगर प.ह.नं. 84 प्रेमदास साहू आत्मज स्व. श्री बल्दू राम साहू, मुसरा खुर्द प.ह.नं. 16 श्री डोमन लाल आत्मज शंकर लाल (सूची में कृषकों संख्या 04) ग्राम बिल्लहारी श्री चन्दन कुमार आत्मज कमल कुमार अन्य (सूची में कृषक संख्या 12) ग्राम खुर्सीपार, श्रीमती मनटोरा बाई पति मल्लमराम (सूची में कृषक संख्या-01) गातापाराखुर्द, मल्लू पिता सुमेरी (सूची में कृषक संख्या -2) सेम्हरा श्री कामन पिता भूखन लोधी (सूची में कृषक संख्या 01) मोहनपुर राजेन्द्र आत्मज बल्लदू राम (सूची में कृषक संख्या 01), ग्राम तोतलभर्री प.ह.नं. 01 प्रकाश/गैदलाल, अन्य (सूची में कृषक संख्या 24) ग्राम घोटिया प.ह.नं. 04 श्री तुलाराम/मानसिंग (सूची में कृषक संख्या 83) विकासखंड डोंगरगांव ग्राम किरगी (खुर्सीपार) प.ह. नं. 25 श्री पोखन लाल/फिरीत राम, अन्य (सूची में कृषक संख्या 23) ग्राम बडगांव चारभाठा प.ह.नं. 24 श्री मुकुंद राम आत्मज मेहत्तर अन्य (सूची में कृषक संख्या 25) ग्राम मचानपार प.ह.नं. 07 श्री रामेश्वर आत्मज गोकुल वर्मा (सूची में कृषक संख्या 01) बाम्हनीभाठा प.ह.नं. 15 श्रीमान चोवाराम आत्मज उदेराम (सूची में कृषक संख्या 09) टप्पा प.ह.नं. 10 श्रीमती फुलबाई पिता गुहा राम (सूची में कृषक संख्या 02) कोपेडीह प.ह.नं. 04 श्री बीनाधर वर्मा आत्मज शिवराम (सूची में कृषक संख्या 05) ऐसे उक्त कृषकों की सूची बनाकर संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा समय अवधि में तहसील कार्यालय में जमा कर दिया गया, साथ ही संबंधित कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा समयावधि में ही माननीय कलेक्टर महोदय को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिकायत पत्र लिखा गया, जिसके उपरांत राहत शाखा कक्ष क्र. 37 में शिकायत दर्ज कर तत्काल जांच निराकरण कर ई-मेल आईडी या फैक्स/विशेष वाहक के हस्ते प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार को कार्यवाही हेतु भेजा गया एवं संबंधित कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों की कापी भी दी गई । आज दिनांक तक उपरोक्त आवेदनों पर किसी प्रकार की सूखा राहत राशि कृषकों को नहीं दी गई जिससे संबंधित अधिकारी की लापरवाही व हठधर्मिता के चलते किसानों के समक्ष भूखा मरने की स्थिति पैदा हो गई है । जिसके कारण कृषकों एवं ग्रामीणजनों में रोष व आक्रोश व्याप्त है ।

..............श्री यादव

यादव\03-07-2018\d10\1.55-2.00

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय सभापति महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह भी सही है कि वर्ष 2017 - 2018 में राजनांदगांव जिले की 09 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 के प्रावधानों के अंतर्गत फसल क्षति हेतु कलेक्टर राजनांदगांव को 140.65 करोड़ रूपए का आवंटन दिया गया था । कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा 233918 कृषकों को 124.96 करोड़ रूपए राहत के रूप में प्रभावितों को वितरित कर दिया गया था ।

समय :1:56 बजे **(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि सूखा राहत राशि दिये जाने हेतु कुछ आवेदन माननीय विधायक से प्राप्त हुए थे । कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया था कि सूखा प्रभावित सभी पात्र किसानों की सूची तैयार कर राजस्व पुस्तक 6 - 4 में निहित प्रावधान अनुसार राशि स्वीकृत कर भुगतान करें । वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् विकासखण्ड डोंगरगढ़ के ग्राम आलीवारा, भानपुरी, रेगाकटेरा, अन्या नवागांव, लमनिनभाटा, गिधवा, लालबहादुर नगर, मुसराखुर्द, बिलहारी, खुर्सीपार, गातापारखुर्द, सेमरा, मोहनपुर, ठेकवा, कसारी, पेण्ड्री, खैरा, खुडमुडी, तोतलभरी एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

घोटिया के कृषकों द्वारा फसल क्षति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुदान सहायता की मांग की गई थी । आवेदन पत्रों को जांच हेतु विभिन्न तारीखों को संबंधित तहसीलदार को भेजकर पात्रता की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी प्रकार विकासखण्ड डोंगरगांव के ग्राम टप्पा, कोपीडीह, बम्हनीभाटा, बढ़गांव, चारभाटा, किरगी एवं मचानपार के कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए थे जिसकी जांच हेतु दिनांक 21.06.2018 को तहसीलदार डोंगरगांव को निर्देशित किया गया कि पात्र किसानों के प्रकरण तैयार कर प्रभावित किसानों को अनुदान सहायता स्वीकृत की जावें । संबंधित तहसीलदार द्वारा पात्र 66 किसानों को राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है । ऐसे कृषक जिनका नाम सर्वेक्षण सूची में नहीं था, उनकी पात्रता की जांच की जा रही है । जांच पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

जिला प्रशासन द्वारा अनुदान सहायता वितरण में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है अपितु तथाकथित कृषक सर्वे के समय स्थल पर उपस्थित नहीं थे एवं ग्रामों में सूचना भेजने के उपरांत उनके द्वारा उपस्थित नहीं होना तथा बैंक खाता क्रमांक उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अनुदान सहायता भुगतान नहीं हो पाया है । पात्र सभी कृषकों को फसल क्षति के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है । अत: यह कहना सही नहीं है कि कृषकों में किसी प्रकार का आक्रोश व्याप्त है ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पूरे राजनांदगांव तहसील को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, उसका आधार क्या था,आपने किस आधार पर सूखा राहत घोषित की उसके बाद किसानों को राहत देने में विलंब क्यों हुआ, उसके कारण बताएंगे

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा राहत घोषित करने के लिए आनावारी रिपोर्ट निकलती है, उसमें हमारी सरकार ने पहली बार ऐसा किया कि राजस्व पुस्तिका 6 - 4 में परिवर्तन कर, पहले जहां 50 प्रतिशत फसल क्षति होना अनिवार्य था, तभी हम सूखा राहत घोषित करते थे । इस बार हम लोगों ने पहली बार 50 प्रतिशत की जगह 33 प्रतिशत भी यदि कोई किसान सूखा से प्रभावित है तो उस प्रत्येक किसान को हम पात्र मानकर उसको सूखा राहत देते हैं । ....(जारी)

श्री मिश्रा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिश्रा\03-07-2018\d11\.-.5

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना था कि आपने पूरे तहसील को घोषित कर दिया पर एक पटवारी के गलत रिपोर्ट की वजह से, पटवारी की लापरवाही की वजह से इतने दिनों तक लंबा खींचना और किसानों को राहत राशि नहीं मिलना, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि आपने एक तो पूरे तहसील स्तर पर घोषित कर दिया तो उनको विलंब नहीं होना चाहिए और जहां तक सोचता हूं कि आपने जो विलंब किया है और जो-जो बचा है वह इनको पूर्णत: राशि मिल जायेगी क्या?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मंत्री जी, सूखा राहत पहले घोषित किया गया या अनावारी पहले ली गई?

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- अनावारी लेने के बाद ही सूखा राहत घोषित किया जाता है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, सूखा पहले घोषित हो गया था जब फसल खड़ी थी।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सारी जगह की रिपोर्ट लेने के बाद ही पता लगता है कि ये सूखा है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- नजरी आंकलन के आधार पर किया था।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- हॉ, हॉ, वह तो वही है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर भरत मिलाप हो चुका है।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- मैं बता देना चाहता हूं कि 268 कृषकों के बारे में विभिन्न 9 पत्र आपने लिखे हैं और उसका पूरा आपको भी जवाब मिला। उसमें से लगभग 188 कृष्कों का भुगतान किया जा चुका है। बचे हुए कृषकों की भी जांच चल रही है और उसमें जैसे-जैसे जो पात्र होते जायेंगे उसका भुगतान हो जायेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- जब ऑलरेडी सूखा राहत घोषित जिला है तो पात्र और अपात्र का कोई मुद्दा ही नहीं उठता। क्या मंत्री जी सदन में बोलेंगे क्या कि जो शिकायतकर्ता हैं उनको पूरी राशि देंगे? जब आपने सूखा राहत घोषित कर ही दिया है तो यहां पर आत्र और पात्र का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो सारे किसान उस एंगल में आते हैं।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा तहसील आधार पर घोषित किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक किसान की जो अंतिम अनावारी आती है उस पर वह पात्रता रख रहा है या नहीं रख रहा है, यदि उसका 33 प्रतिशत नुकसान हुआ है तो उसको मिलेगा। 33 प्रतिशत से कम हुआ है तो नहीं मिलेगा। तो पात्र और अपात्र तो आपको हर चीज में चुनना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यहां चुनकर आने वाले लोगों को भी जनता भी पात्र, अपात्र के आधार पर चुनकर भेजती है तब हम लोग आते हैं, तो पात्रता, अपात्रता की श्रेणी तो हर योजना में रहेगी।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, अनावारी का तो आपने ग्राम पंचायत या ग्राम को बेसिक बनाया होगा तो आपका अनावारी रिपोर्ट लेने का बेस क्या है? व्यक्तिगत है या ग्राम बेस है?

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- व्यक्तिगत किसान आधारित हम देते हैं।

समय: 2.03 बजे **नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा:1. डॉ. खिलावन साहू2. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम3. श्री श्रवण मरकाम4. श्री धनेन्द्र साहू5. श्री पारसनाथ राजवाड़े

समय: 2.04 बजे **वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 की तिथि निर्धारित करता हूं।

समय: 2.04 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए।

(अनुमति प्रदान की गई।)

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं।

श्री कुरैशी

कुरैशी\03-07-2018\d12\02.05-02.10

(2) छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7, सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(3) **छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018**

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9, सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नलिखित विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है -

1. छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10, सन् 2018) तथा
2. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11, सन् 2018).

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018

गृहमंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रामसेवक पैकरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10, सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं।

(5) छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11, सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं ।

पत्रकारगण के समूह छायाचित्र की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज दिनांक 3 जुलाई, 2018 को आज की कार्यसूची के कार्यों की समाप्ति के पश्चात् सेंट्रल हॉल में पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्यों एवं पत्रकार दीर्घा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के प्रवेशपत्र धारी पत्रकारों के साथ समूह छायाचित्र लिया जाना निर्धारित किया गया है । अत: पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्य एवं पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्र धारी समस्त पत्रकारगण निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होंगे ।

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\03-07-2018\d13\2.10-15

विधान सभा परिसर स्थित खेल प्रशाल में वृक्षारोपण कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर के खेल प्रशाल स्थित मैदान में माननीय सदस्यों हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार, दिनांक 04 जुलाई को प्रात: 9.30 बजे रखा गया है । माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त तिथि को यथासमय उपस्थित होकर उनके लिए पूर्व निर्धारित स्थल पर पौधा रोपित करने का कष्ट करें । कार्यक्रम पश्चात् स्वल्पाहार की व्यवस्था खेल प्रशाल स्थित कक्ष में की गई है ।

समय:- **मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना**

2:11 बजे

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की दो सूचनाएं पृथक-पृथक प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री अमित अजीत जोगी, श्री सियाराम कौशिक एवं श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य की ओर से प्राप्त हुई है तथा दूसरी सूचना श्री टी. एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है । मैं सूचनाओं की प्राप्ति के क्रम में प्रस्ताव के समर्थन में सभा में उपस्थित सदस्यों की राय लूंगा । जिस सूचना पर नियमावली के नियम 143 के उप नियम 2 की अपेक्षानुसार दशांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, उस सूचना को सभा में लिए जाने की अनुमति दी जायेगी । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्रि-परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना श्री अमित अजीत जोगी, श्री सियाराम कौशिक एवं श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य की ओर से प्राप्त हुई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- जो माननीय सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जायें ।

(श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य द्वारा खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि नियमावली के नियम 143 के उपनियम 2 की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े नहीं हुए हैं इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत करने वाला सदस्य ही गायब है । सहयोगी पूछें कि कहां रह गए हैं ।

जल संसाधन मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव शायद सदन का सबसे बड़ा मोशन होता है और सदन के इतने बड़े मोशन में, जिसने सूचना दी, उसका अनुपस्थित रहना बहुत दुर्भाग्यजनक है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे प्रस्ताव देने वाला सदस्य अगर अनुपस्थित है तो आपको उनको प्रताड़ित करना चाहिए क्योंकि ये सदन का अपमान है कि सबसे बड़े मोशन को देने के बाद में अनुपस्थित रहना ये पूरे सदन का अपमान है और उसके ऊपर में निर्णय लेकर उनको प्रताड़ित करना चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वह तो आपकी बी टीम, सहयोगी साथी हैं, आप उनको समझा दीजिए, प्रताड़ित करने की बात मत करिए ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जिस समय उन्होंने नोटिस दिया होगा, उनके मन में अविश्वास का भाव रहा होगा । दो दिन में उनको इस बात का भान हो गया होगा कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में भी रहेगी इसलिए उन्होंने कहा कि अनुपस्थित रहो, अपने आप स्वमेव वह गिर जायेगा । (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर वे अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं इसलिए वे नदारद हैं । वे सपोर्ट में ही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, भूपेश जी, ये भी तो हो सकता है कि अमित जी को लगा हो कि आप लोग विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से नहीं निभा सक रहे हैं इसलिए आप लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा हो पहले ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, दरअसल शिवरतन शर्मा जी आज बार-बार इसलिए खड़े हो रहे हैं कि भाभी जी दीर्घा में बैठी हुई हैं, उनको परफारमेंस दिखाना है ।

अध्यक्ष महोदय :- सभी को यहां पर अपने-अपने परिवार को बुलाने का सबको अधिकार है, आप भी बुला सकते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- इसलिए वे बार-बार खड़े हो रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना श्री टी. एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

यह सदन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है ।

अध्यक्ष महोदसय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जाएं ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि नियमावली 143 के उपनियम 2 की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुए हैं इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मैं अनुमति देता हूं ।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018 को मध्याह्न 12:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक का समय निर्धारित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपराह्न 2:15 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 13, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।

रायपुर **चन्द्र शेखर गंगराड़े**

दिनांक 3 जुलाई, 2018 **सचिव**

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं